रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022025-260703 CG-DL-E-01022025-260703

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 1, 2025/माघ 12, 1946

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 2025/MAGHA 12, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2025

फा. सं. 2(3)-बी(डी)/2025.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

बजट 2025-26

वित्त मंत्री

निर्मला सीतारामन

का

भाषण

1 फरवरी, 2025

माननीय अध्यक्ष महोदय,

मैं वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ।

860 GI/2025 (1)

प्रस्तावना

- 1. यह बजटः
 - क) विकास में तेजी लाने,
 - ख) समावेशी विकास सुनिश्चित करने,
 - ग) निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालने,
 - घ) परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरने, और
 - ङ) भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखेगा।
- 2. हम सब मिलकर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और अधिक संपन्नता लाने और विश्व में अपना स्थान बनाने और अपने राष्ट्र की अनंत क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं।
- 3. आज जब हम 21वीं सदी के प्रथम चौथांश तक की यात्रा पूरी कर रहे हैं, हमारे सामने प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो मध्यम अविध में वैश्विक आर्थिक विकास में कमी की ओर संकेत करती है। फिर भी, विकित भारत की हमारी महत्वकांक्षा हमें प्रेरणा देती है और हमारी सरकार के पहले दो कार्यकाल के दौरान किए गए हमारे परिवर्तनकारी कार्य दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ने में हमारा पथ-प्रदर्शन करते हैं।

बजट की विषय-वस्तु

- 4. हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकार्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अविध के दौरान, भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए 'सबका विकास' को साकार करने के अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं।
- 5. महान तेलुगु किव और नाटककार गुराजादा अप्पा राव ने कहा था, 'Desamante Matti Kaadoi, Desamante Manushuloi' अर्थात् 'कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है।' इसके अनुरूप, हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं:
 - क) गरीबी से मुक्ति;
 - ख) शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा;
 - ग) बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच;
 - घ) शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार;
 - ङ) आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं; और
 - च) हमारे देश को 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनाने वाले किसान।

- 6. इस बजट में, प्रस्तावित विकास उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर दस व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है।
 - 1) कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना;
 - 2) ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण;
 - 3) समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना;
 - 4) भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना;
 - 5) एमएसएमई को सहायता देना;
 - 6) रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना;
 - 7) जनता, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना;
 - 8) ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना;
 - 9) निर्यात को बढ़ावा देना; और
 - 10) नवाचार को पोषित करना।
- 7. विकास की इस यात्रा के लिए:
 - क) हमारे चार शक्तिशाली इंजन हैं: कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात
 - ख) ईंधन हैं: हमारे सुधार
 - ग) हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा हैः समावेशिता
 - घ) और लक्ष्य हैः विकसित भारत।
- 8. इस बजट का उद्देश्य छह क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अविध के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र हैं:
 - 1) कराधान;
 - 2) विद्युत क्षेत्र;
 - 3) शहरी विकास;
 - 4) खनन;
 - 5) वित्तीय क्षेत्र; और
 - 6) विनियामक सुधार।

प्रथम इंजन के रूप में कृषि

9. अब मैं प्रथम इंजन के रूप में कृषि से शुरू करते हुए विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

10. आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से 'प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य - (1) संवर्धित कृषि उत्पादकता, (2) फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, (3) पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, (4) सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना, और (5) दीर्घ-अविध और लघु-अविध ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण

- 11. एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारम्भ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता।
- 12. यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों, और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका विवरण अनुलग्नक क में दिया गया है।
- 13. वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंकों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। पहले चरण में, 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

- 14. हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। हमारे किसानों के पास हमारी जरूरतों के लिए और इससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है।
- 15. दस वर्ष पहले, हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता पाई थी। किसानों ने 50 प्रतिशत तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था की थी। तब से, आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहनों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- 16. अब, हमारी सरकार, तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6-वर्षीय "दलहनों में आत्मिनभिरता मिशन" प्रारम्भ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्नक ख पर दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों (नेफेड और एनसीसीएफ) में पंजीकरण

और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लायी जाएंगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

17. यह बात उत्साहवर्धक है कि हमारे लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में लगातार जागरूक होते जा रहे हैं। यह समाज के स्वस्थ बनने की निशानी है। आय के स्तरों के बढ़ने के साथ, सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बिहार में मखाना बोर्ड

18. इसके लिए, बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यकलापों में लगे लोगों को एफपीओ में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ-प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन

- 19. राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य (1) अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, (2) उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना तथा (3) जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। मत्स्य उद्योग
- 20. भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य ₹60 हजार करोड़ है। समुद्री क्षेत्र की अप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए, हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्रों से सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकुल फ्रेमवर्क लाएगी।

कपास उत्पादकता मिशन

21. कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए 'कपास उत्पादकता मिशन' की घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस पंच-वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5एफ के समेकित विज़न के अनुरूप, इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण

22. किसान क्रेडिट कार्डों (केसीसी) से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी जाएगी।

असम में यूरिया संयंत्र

23. यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े तीन यूरिया संयंत्रों में उत्पादन पुनः प्रारंभ किया है। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक

- 24. 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसका विवरण अनुलग्नक ग में दिया गया है।
- 25. भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। इससे विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्व-सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

एनसीडीसी को सहायता

26. हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए एनसीडीसी के ऋण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करेगी।

दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

27. अब मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूँ, जिनमें 5.7 करोड़ एमएसएमई पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं।

एमएसएमई के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन

28. वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36 प्रतिशत का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत एमएसएमई मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये एमएसएमई अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के साथ हमारे निर्यात में 45 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। एमएसएमई को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुणा तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण अनुलग्नक घ में दिया गया है।

गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि

- 29. ऋण तक पहुंच में सुधार के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा:
 - क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए, ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में ₹1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे;
 - ख) स्टार्ट-अप के लिए, ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹20 करोड़, जिसमें आत्मिनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1 प्रतिशत किया जाएगा; और
 - ग) उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक एमएसएमई के लिए, ₹20 करोड़ तक के सावधि ऋण।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

30. हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए ₹5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में, 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

31. स्टार्ट-अप के लिए वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को ₹91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें ₹10,000 करोड़ के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब, विस्तारित कार्यक्षेत्र और ₹10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना

32. पांच लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान ₹2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड-अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

श्रम-सघन क्षेत्रों के लिए उपाय

33. श्रम-सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी।

फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम

34. भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम

से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने, ₹4 लाख करोड़ का कारोबार और ₹1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

35. राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर, हम भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इको-सिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे, जो 'मेड इन इंडिया' ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता

36. 'पूर्वोदय' में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप (1) किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी, और (2) युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

विनिर्माण मिशन - 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाना

37. हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्ययोजनाएं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराकर 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। इसका विवरण अनुलग्नक ङ में दिया गया है।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण

38. जलवायु-अनुकूल विकास की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, यह मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना और सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों और कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसिमशन उपकरण और ग्रिड स्केल बैटरियों का हमारा इकोसिस्टम तैयार करना होगा।

तीसरे इंजन के रूप में निवेश

39. अब, मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर बढ़ती हूँ, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल हैं।

क. लोगों में निवेश

सक्षम आंगनवाडी और पोषण 2.0

40. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

41. हमारे बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

42. भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम

43. हम स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजीटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करते हैं। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है।

राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

44. जुलाई, 2024 के बजट में घोषित की गई पहलों की दिशा में कार्य करते हुए, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा।

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

45. 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा तािक 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी, पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।

शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र

46. मैंने 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब ₹500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

47. हमारी सरकार ने दस वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130 प्रतिशत की वृद्धि है। अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

48. हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण

49. हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ाने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके।

पीएम स्वनिधि

50. पीएम स्विनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए, इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण, ₹30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

51. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमारी सरकार उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है।

ख. अर्थव्यवस्था में निवेश

अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी

52. अवसंरचना से जुड़ा प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा जिन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए आईआईपीडीएफ (भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि) स्कीम से सहायता ले सकते हैं।

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

53. पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50-वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋणों हेतु ₹1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया जाता है।

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

54. वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, नई परियोजनाओं में ₹10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वित्तीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा।

जल जीवन मिशन

- 55. वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेय जल प्रदान किया गया है जो ग्रामीण आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा है। 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए, बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है।
- 56. इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और "जन भागीदारी" के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव (ओएण्डएम) पर होगा। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि इसकी निरंतरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपूर्दगी को सुनिश्चित किया जा सके।

शहरी क्षेत्र सुधार

57. जुलाई के बजट प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए, शासन, नगरपालिका सेवाओं, शहरी भूमि और आयोजना से संबंधित शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी चुनौती निधि

- 58. जुलाई के बजट में घोषित 'विकास केंद्रों के रूप में शहर', 'शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास', और 'जल एवं स्वच्छता' के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार ₹1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी।
- 59. यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25 प्रतिशत तक की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्तपोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50 प्रतिशत बाँड, बैंक ऋणों और पीपीपी से वित्तपोषित किया जाए। वर्ष 2025-26 के लिए ₹10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है।

विद्युत क्षेत्र सुधार

60. हम राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन क्षमता के संवर्धन को प्रोत्साहित करेंगे। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार होगा। राज्यों को इन सुधारों पर कार्य करने पर जीएसडीपी की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त उधारी की अनुमित दी जाएगी।

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

61. हमारे ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

62. लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास के लिए ₹20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 एसएमआर क्रियाशील हो जाएंगे।

पोत निर्माण

- 63. लागत संबंधी हानियों के समाधान के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे।
- 64. अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में निर्दिष्ट आकार से अधिक बड़े जलपोतों को शामिल किया जाएगा।
- **65.** जलपोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें संपूर्ण इको-सिस्टम का विकास करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी भी शामिल होंगी।

सामुद्रिक विकास निधि

66. सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्तपोषण के लिए ₹25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। यह निधि वितरित सहायता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए होगी इसमें सरकार द्वारा 49 प्रतिशत तक अंशदान किया जाएगा और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।

उड़ान - क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम

67. उड़ान ने 1.5 करोड़ मध्यवर्गीय लोगों को तीव्र यात्रा करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाया है। इस स्कीम ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 रूटों को क्रियाशील बनाया है। इस सफलता से प्रेरित होकर, एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाईअड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी।

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

68. बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे।

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

69. पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा।

खनन क्षेत्र सुधार

- 70. सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान-प्रदान और राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना के माध्यम से लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे।
- 71. अवशिष्ट पदार्थों से महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी।

स्वामिह निधि 2

- 72. किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो (स्वामिह) के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं में पचास हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। अन्य चालीस हजार इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे उन मध्य वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो ऋण पर ईएमआई का भुगतान कर रहे थे और साथ ही अपने वर्तमान आवास में रहने के लिए किराये का भुगतान भी कर रहे थे।
- 73. इस सफलता से प्रेरित होकर, सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में स्वामिह निधि 2 बनाई जाएगी। ₹15,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है।

निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा

74. पीपीपी को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए पीएम गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन

- 75. देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी। उन स्थलों के होटलों को अवसंरचना एचएमएल में शामिल किया जाएगा।
- 76. रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगेः
 - 1) आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन;
 - 2) होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना;
 - 3) पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना;
 - 4) पर्यटकों हेतु सुख-सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन-स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करना; और
 - 5) कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा-शुल्क छूट के साथ-साथ ई-वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना।
- 77. जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, भगवान बुद्ध के जीवन-काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ

78. क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा।

ग. नवाचार में निवेश

अनुसंधान, विकास और नवाचार

79. जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए, मैं अब ₹20,000 करोड़ आवंटित कर रही हूँ।

डीप टेक निधियों का कोष

80. इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा।

पी एम अनुसंधान अध्येतावृत्ति

81. पीएम अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए दस हजार अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाएगी।

फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

82. भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को अनुवांशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी।

राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन

83. हम बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन शुरू करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू-अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी।

ज्ञान भारतम मिशन

- 84. शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्त्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा।
- 85. अब, मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की तरफ बढ़ती हूँ।

चौथे इंजन के रूप में निर्यात

निर्यात संवर्धन मिशन

86. हम क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेंगे जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एमएसएमई को विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी।

भारत ट्रेडनेट

87. व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफार्म के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु 'भारत ट्रेडनेट' (बीटीएन) नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। यह एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म में सहयोग प्रदान करेगी। बीटीएन को अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकरण हेतु सहायता

- 88. वैश्विक आपूर्ति श्रंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
- 89. चुर्निदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे।
- 90. इसके माध्यम से, इंडस्ट्री 4.0 में बहुत से अवसर मौजूद हैं जिनके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हमारे युवाओं के पास ये दोनों गुण हैं। युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने हेतु हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी।

जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क

91. उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केन्द्रों को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। यह प्रतिभा और अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन- उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु एक तंत्र का सुझाव देगा।

एयर कार्गों के लिए भंडारगृह की सुविधा

92. हमारी सरकार उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सिहत एयर कार्गों हेतु अवसंरचना और भंडारगृह के उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करेगी। कार्गों जांच और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा।

ईंधन के रूप में सुधार

93. अब मैं 'ईंधन के रूप में सुधारों' की तरफ बढ़ती हूँ और विशिष्ट सुधारों का उल्लेख करती हूँ।

कर सुधार

94. विगत 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि (1) अप्रत्यक्ष कर-निर्धारण (2) करदाता चार्टर (3) त्वरित विवरणी (4) स्व-कर निर्धारण पर लगभग 99 प्रतिशत विवरणी और (5) विवाद से विश्वास स्कीम। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, मैं, कर विभाग के "पहले विश्वास बाद में जांच" संबंधी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूँ। मैं, अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं, भाग ख में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार और विकास

बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

95. बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाएगा। यह संवर्द्धित सीमा उन कम्पनियों के लिए उपलब्ध होगी, जो भारत में सम्पूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से सम्बद्ध मौजूदा सीमाओं और प्रतिबंधिताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा।

भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं का विस्तार

96. भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुँचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।

एनएबीएफआईडी द्वारा ऋण संवर्द्धन सुविधा

97. एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बाँड हेतु एक 'आंशिक ऋण संवर्द्धन सुविधा' स्थापित करेगा।

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

98. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 'ग्रामीण क्रेडिट स्कोर' फ्रेमवर्क विकसित करेंगे।

पेंशन क्षेत्र

99. पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम की स्थापना की जाएगी।

केवाईसी का सरलीकरण

100. केवाईसी प्रकिया को सरल बनाने के संबंध में की गई पूर्व घोषणा के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2025 में केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का पुनरुद्धार किया जाएगा। हम आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे।

कंपनियों का विलय

101. कंपनियों के विलय की त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

द्विपक्षीय निवेश संधियां

102. अंतरिम बजट में यथा प्रस्तावित, हमने वर्ष 2024 में दो देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों (बीआईटी) पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और 'फर्स्ट डेवलप इंडिया' की भावना से मौजूदा मॉडल बीआईटी का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेशक अनुकूल बनाया जाएगा।

विनियामक सुधार

103. पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय और गैर-वित्तीय सिहत विभिन्न पहलुओं में, हमारी सरकार ने 'व्यवसाय करने की सुगमता' के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकिल्पित हैं कि हमारे विनियम प्रौद्योगिकीय नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करे। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से, हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए विनियमों को अद्यतन करेंगे। इक्कीसवीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक, लचीली, जन-उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए, मैं, चार विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ:

विनियामक सुधार हेतु उच्चस्तरीय समिति

104. सभी गैर-वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमों, प्रमाणन, लाइसेंस और अनुमितयों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से एक वर्ष के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके परिवर्तनशील उपाय करना है तािक विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के मामलों में 'व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ाया जा सके। राज्यों को भी इस प्रयास में शािमल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

105. प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।

एफएसडीसी तंत्र

106. वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत, वर्तमान वित्तीय विनियमों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। यह तंत्र उनकी जबावदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा।

जन विश्वास विधेयक 2.0

107. जन विश्वास अधिनियम, 2023 में, 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर-आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी।

राजकोषीय नीति

108. अब मैं, राजकोषीय नीति के बारे में बताना चाहूँगी।

राजकोषीय सुदृढ़ीकरण

109. जुलाई के बजट में, मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हम राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे कि केन्द्रीय सरकार का ऋण, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा एफआरबीएम विवरण में दिया गया है।

संशोधित अनुमान 2024-25

- 110. उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान ₹31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां ₹25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान ₹47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग ₹10.18 लाख करोड़ है।
- 111. राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 4.8 प्रतिशत है।

बजट अनुमान 2025-26

- 112. वर्ष 2025-26 में, उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: ₹34.96 लाख करोड़ तथा ₹50.65 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां ₹28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।
- 113. राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- 114. राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों के ₹11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारियां ₹14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

अब में भाग ख की ओर बढ़ती हूँ।

भाग ख

अप्रत्यक्ष कर

115. सीमा-शुल्कों से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यातों को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी।

औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना

- 116. जुलाई, 2024 के बजट में घोषित सीमा-शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में:
 - (i) मैं, सात टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद, शेष बची टैरिफ दरें 'शून्य' दर सहित आठ रह जाएंगी।
 - (ii) मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों, जहां ऐसा दायित्व मामूली रूप से कम होगा, को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ।
 - (iii) एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसलिए, मैं, उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ।
- 117. मैं, अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ।

औषधि/दवाओं के आयात पर राहत

- 118. मैं, रोगियों, विशेष रूप से, कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट-प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं, 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा-शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्ण छूट और रियायती शुल्क उपर्युक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार लागू होंगे।
- 119. औषध कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बीसीडी से पूरी तरह छूट-प्राप्त हैं, बशर्तें कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाएं। मैं, 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ-साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करती हैं।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता

महत्वपूर्ण खनिज

120. जुलाई, 2024 के बजट में, मैंने 25 ऐसे महत्वपूर्ण खिनजों पर बीसीडी से पूरी तरह छूट प्रदान की थी जो घरेलू तौर पर उपलब्ध नहीं हैं। मैंने 2 अन्य ऐसे खिनजों पर भी बीसीडी कम की थी तािक विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा उनकी प्रोसेसिंग को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सके। अब मैं, कोबाल्ट पाउडर और लिथियम-आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खिनजों के अपिशष्ट एवं अविशष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। इससे भारत में विनिर्माण के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।

वस्त्र

121. मैं, प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों जैसे कि कृषि-वस्त्रों, चिकित्सा वस्त्रों, भू-वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में दो अन्य प्रकार के शटल-रहित करघों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं, नौ टैरिफ लाइनों द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर "10% अथवा 20%" के बीसीडी दर को संशोधित कर "20% अथवा 115 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

- 122. हमारे 'मेक इन इंडिया' नीति के अनुरूप, और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए, मैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले (आईएफडीपी) पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर बीसीडी को कम करके 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ।
- 123. वर्ष 2023-24 के बजट में, मैंने एलसीडी/एलईडी टेलीविजन के ओपन सेल के विनिर्माताओं के लिए, ओपन सेल के पुर्जों पर बीसीडी को 5% से कम करके 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को और बढ़ावा देने के लिए, अब इन पुर्जों पर बीसीडी छूट-प्राप्त होगी।

लिथियम आयन बैटरी

124. मैं, इलेक्ट्रिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को छूट-प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

पोत परिवहन क्षेत्र

125. यह मानते हुए कि पोत-निर्माण में उत्पादन शुरू करने से पहले की अवधि लम्बी होती है, मैं, जलपोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बीसीडी से छूट जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं, पुराने पोतों को तोड़ने (शिप-ब्रेकिंग) को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस पर समान छूट देने का प्रस्ताव भी करती हूँ।

दूरसंचार

126. मैं, वर्गीकरण के विवादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर बीसीडी को नॉन-कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच के समकक्ष लाने हेतु 20% से कम करके 10% करने का प्रस्ताव करती हूँ।

निर्यात संवर्धन

हस्तशिल्प वस्तुएं

127. हस्तिशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, मैं, निर्यात की समयाविध को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे और तीन महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं, शुल्क-मुक्त इनपुट की सूची में नौ और मदों को शामिल करने का प्रस्ताव भी करती हूँ।

लेदर क्षेत्र

128. मैं, घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर बीसीडी से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं, छोटे चर्मशोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव भी करती हूँ।

समुद्री उत्पाद

129. वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर बीसीडी को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं, मछलियों और झींगे के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर बीसीडी को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव भी करती हूँ।

रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ

130. जुलाई, 2024 बजट में, वायुयानों और जलपोतों के लिए घरेलू एमआरओ के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मैंने, मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे और एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं, अब रेल वस्तुओं के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

व्यापार सुविधा

प्रोविजनल कर-निर्धारण की समय-सीमा

131. वर्तमान में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में प्रोविजनल कर-निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय-सीमा का प्रावधान नहीं है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता रहती है और लागत बढ़ती है। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, मैं प्रोविजनल कर-निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्षों की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

स्वैच्छिक अनुपालन

132. मैं, एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे आयातक या निर्यातक माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सिहत शुल्क का भुगतान कर सकें। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि, यह प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा, जिनमें विभाग पहले ही लेखापरीक्षा या अन्वेषण कार्यवाही शुरू कर चुका है।

अंतिम उपयोग की समय-सीमा का विस्तार

133. उद्योग को अपने आयातों की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से मैं, संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय-सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा, ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा।

प्रत्यक्ष कर

अब मैं, अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आती हूँ:

- 134. भाग क में, मैंने विकसित भारत के हमारे विज़न को साकार करने के लिए कराधान सुधारों को मुख्य सुधारों के रूप में संक्षिप्त रूप में रेखांकित किया है। आपराधिक विधि के संबंध में, हमारी सरकार ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित किया है। मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नया आयकर विधेयक भी "न्याय" की इसी भावना को आगे बढ़ाएगा। यह नया विधेयक अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से वर्तमान विधि की अपेक्षा आधे से कम एवं पाठ रूप में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेंबाजी कम होगी।
- 135. तथापि, सुधार मंजिल नहीं हैं; बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के साधन हैं। सुशासन प्रदान करने के लिए प्रतिक्रियाशील होने की आवश्यकता होती है। थिरुक्कुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है कि:

वानोकी वाज़हुम उलागेल्ला मन्नावन कोनोकी वाज़हुम कुडि। अर्थात्: जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जमीनी हकीकत पर पैनी नज़र रखते हुए और स्थितियों का गहन जायजा लेते हुए उचित प्रतिक्रिया की जाए और इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ संतुलन भी बनाए रखा जाए। निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और उसे संबोधित करने के लिए किस प्रकार कदम उठाए हैं। मेरे कर प्रस्ताव इसी मनोभाव से प्रेरित हैं।

- 136. मेरे प्रस्तावों के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
 - (i) मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार
 - (ii) कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को युक्तिसंगत बनाना
 - (iii) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना
 - (iv) अनुपालन के बोझ को कम करना
 - (v) व्यवसाय करने की सुगमता
 - (vi) रोजगार और निवेश

मैं, वैयक्तिक आयकर के संबंध में अपना प्रस्ताव अंत में प्रस्तुत करूंगी।

कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस/टीसीएस को तर्कसंगत बनाना

- 137. मैं टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस हेतु राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। विरष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा ₹50,000 से दोगुनी बढ़ाकर ₹1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार, किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन-देनों की संख्या में कमी आएगी और कम भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे।
- 138. भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अंतर्गत धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दिया गया है। मैं, शिक्षा प्रयोजनों के लिए उन धनप्रेषणों पर टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव भी करती हूँ, जहां ऐसे धनप्रेषण निर्दिष्ट वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण से हों।
- 139. माल की बिक्री से जुड़े किसी भी लेन-देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। अनुपालन से जुड़ी ऐसी कठिनाइयों से बचने के लिए, मैं, टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूँ कि अब उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर-पैन मामलों पर ही लागू होंगे।
- 140. जुलाई, 2024 में, विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब को गैर-आपराधिक कर दिया गया था। मैं, टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूँ।

स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

141. माननीय प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के मंत्र पर आस्था रखती है और इसी के अनुरुप हम, उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन के लिए वर्ष 2022 में विवरणी को अद्यतन करने की सुविधा लेकर आए, जिन्होंने सही आय की सूचना देने में चूक की हो। करदाताओं पर हमारा विश्वास सही साबित हुआ। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधी ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं, अब किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय-सीमा को मौजूदा दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने का प्रस्ताव करती हुँ।

अनुपालन बोझ को कम करना

- 142. मैं छोटे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकरण अविध को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपूर्ण आवेदनों को दाखिल किए जाने जैसी छोटी चूक के अत्यिधक गंभीर परिणाम न हों।
- 143. वर्तमान में, करदाता कतिपय शर्तों को पूरा करके ही अपने स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं। करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बिना किसी शर्त के ऐसी दो सम्पतियों के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है।

व्यवसाय करने की सुगमता

- 144. मैं, अंतरण मूल्य की प्रक्रिया को कारगर बनाने और वार्षिक जांच का एक विकल्प मुहैया कराने हेतु तीन वर्षों की ब्लॉक अविध के लिए अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण करने हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी।
- 145. अंतरराष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।
- 146. वर्तमान में अनेक वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने एनएसएस खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब कोई ब्याज देय नहीं है, अत: मैं, 29 अगस्त, 2024 को या उसके पश्चात् व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं, एनपीएस वात्सलय खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव कर रही हूँ, जैसी कि समग्र सीमाओं के अध्यधीन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है।
- 147. जुलाई, 2024 के मेरे भाषण में, मैंने यह वचन दिया था कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने सिहत सभी प्रक्रियाओं का अगले दो वर्षों में डिजिटलीकरण करते हुए इन्हें कागज़ रिहत किया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिजिटलीकरण को क्रियाशील किया जा रहा है।
- 148. जुलाई, 2024 में, हम, अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आए थे। इस स्कीम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लगभग 33,000 करदाताओं ने अपने विवादों के समाधान के लिए इस स्कीम का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया है।

रोजगार और निवेश

149. निवेश और रोज़गार बढ़ाने के लिए मेरे कुछ प्रस्ताव हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण स्कीमों के लिए कर निश्चितता

150. उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है, जो ऐसी निवासी कम्पनी को सेवाएं प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है। इसके अलावा, मैं, उन अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सेफ हार्बर शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों का भंडारण करते हैं।

अन्तर्देशीय जलयान के लिए टन भार कर स्कीम

151. वर्तमान में टन भार कर स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों को भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है।

स्टार्ट-अप के निगमन का विस्तार

152. हम भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को सहायता जारी रख रहे हैं। मैं, 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि स्टार्ट-अप को उपलब्ध लाभों को 1.4.2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्ट अप को प्रदान किया जा सके।

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी)

153. आईएफएससी में अतिरिक्त कार्याकलापों को आकर्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए, मैं, अन्य बातों के साथ-साथ, आईएफएससी में स्थापित जलयान लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों और वैश्चिक कम्पनियों के ट्रेजरी केन्द्रों के लिए विशिष्ट लाभों का प्रस्ताव कर रही हूँ। इसके अलावा, आईएफएससी में प्रारंभ करने की निर्णायक तारीख को भी लाभ का दावा करने के लिए पांच वर्षों तक बढ़ा कर 31.03.2030 कर दिया गया है।

वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ)

154. श्रेणी-। और श्रेणी-॥ एआईएफ अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं। मैं, इन निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं।

सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश की तारीख को बढ़ाना

155. सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए, मैं, निवेश करने की तारीख को 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ।

मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार

- 156. विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में, लोकतंत्र, जनांकिकी और मांग हमारे प्रमुख सहायक स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए, हमने उनके कर के बोझ को समय-समय पर कम किया है। वर्ष 2014 के तुरंत बाद, 'शून्य कर' स्लैब को बढ़ाकर ₹2.5 लाख किया गया था, जिसे 2019 में फिर से बढ़ाकर ₹5 लाख और 2023 में ₹7 लाख किया गया। यह मध्यम वर्ग के करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत ₹12 लाख तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर ₹1 लाख प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आय कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा ₹75,000 की मानक कटौती के कारण ₹12.75 लाख होगी।
- 157. सभी कर-दाताओं को लाभान्वित करने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी।
- 158. मैं, नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ:

0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

- 159. ₹12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए (विशिष्ट आय दर को छोड़कर) स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न स्तरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में ₹12 लाख की आय वाले करदाता को कर में ₹80,000 (पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100%) का लाभ होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में ₹70,000 (पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30%)का लाभ होगा। ₹25 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹1,10,000 (पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 25%) का लाभ होगा।
- 160. मेरे कर प्रस्तावों के विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।
- 161. इन प्रस्तावों के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष करों में लगभग ₹1 लाख करोड़ और अप्रत्यक्ष करों में ₹2600 करोड़ का परित्याग होगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मैं यह बजट इस सदन के समक्ष रखती हूँ। जय हिंद।

भाग क का अनुलग्नक

अनुलग्नक क

ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण

यह कार्यक्रम निम्नलिखित पर केन्द्रित होगा:

- 1) ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास, रोज़गार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना;
- 2) युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोज़गार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना;
- 3) विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार और भंडारण हेतु कृषि संवर्द्धन एवं आधुनिकीकरण; और
- 4) भूमिहीन परिवारों के लिए विविध अवसर उत्पन्न करना।

अनुलग्नक ख

दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन

यह मिशन निम्नलिखित पर बल देगा:

- 1) जलवायु अनुकूल बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता,
- 2) प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि
- 3) उत्पादकता बढ़ाना
- 4) फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना, और
- 5) किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना।

अनुलग्नक ग

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक

सेवाओं की विस्तारित श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं:

- 1) ग्रामीण समुदाय हब कॉलोकेशन;
- 2) सांस्थानिक खाता सेवाएं;

- 3) डीबीटी, नकद निकासी और ईएमआई पिक-अप;
- 4) सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवाएं;
- 5) बीमा; और
- 6) सहायता-प्राप्त डिजिटल सेवाएं

अनुलग्नक घ

रुपए करोड़ में	नि	वेश	कारो	बार
सूक्ष्म उद्यम	1	2.5	5	10
लघु उद्यम	10	25	50	100
मध्यम उद्यम	50	125	250	500

अनुलग्नक ङ

विनिर्माण मिशन - "मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाना

इस मिशन के अधिदेश में 5 ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र शामिल होंगे:

- 1) व्यवसाय करने की सुगमता और लागत;
- 2) मांग वाली नौकरियों के लिए भावी तैयार कार्यबल;
- 3) जीवंत और गतिशील एमएसएमई क्षेत्र;
- 4) प्रौद्योगिकी की उपलब्धता; और
- 5) गुणवत्ता युक्त उत्पाद।

भाग ख का अनुलग्नक अप्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन

क.1 सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

- i. प्रोविशनल असेसमेंट को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्षों की समय-सीमा प्रदान करने के लिए धारा 18 में नई उप-धारा (1ख) अंतर्विष्ट की जा रही है। इसमें यह उपबंध भी किया गया है कि यदि पर्याप्त कारण दर्शाया जाता है तो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा यह समय-सीमा और एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसमें आगे यह उपबंध किया गया है कि लंबित मामलों में इस समय-सीमा की गणना वित्त विधेयक, 2025 को स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।
- ii. नई उप-धारा (1ग) उन कतिपय आधारों का उपबंध करने के लिए अंतर्विष्ट की जा रही है, जिनके कारण प्रोविशनल असेसमेंट को अंतिम रूप देने की दो वर्षों की यह समय-सीमा निलंबित रहेगी।
- iii. माल की स्वीकृति के बाद प्रविष्टि के स्वैच्छिक संशोधन के लिए नई धारा 18क अंतर्विष्ट की जा रही है, जिससे आयातक और निर्यातक माल के संबंध में की गई किसी प्रविष्टि को निर्धारित समय-सीमा में और यथानिर्धारित शर्तों के अधीन संशोधित कर सकते हैं। इसमें ऐसी संशोधित प्रविष्टि को धारा 27 के अधीन स्व-निर्धारण मानने और शुल्क के भुगतान की अनुमित देने या संशोधित प्रविष्टि को प्रतिदाय का दावा मानने का उपबंध भी किया गया है। इसमें आगे ऐसे कितपय मामलों का उपबंध किया गया है जिनमें यह धारा लागू नहीं होगी।
- iv. धारा 27 की उप-धारा 1 में एक नया स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करने के लिए अंतर्विष्ट किया जा रहा है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18क के अधीन संशोधित प्रविष्टि या धारा 149 के अधीन संशोधन के परिणामस्वरूप प्रतिदाय के दावे के लिए सीमांकन अविध शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख से एक वर्ष होगी।
- v. धारा 28 के स्पष्टीकरण 1 में एक नया खंड यह उपबंध करने के लिए अंतर्विष्ट किया जा रहा है कि धारा 18क के अधीन संशोधित प्रविष्टि के अनुसार शुल्क के भुगतान के मामले में संगत तारीख शुल्क या ब्याज के भुगतान की तारीख है।
- vi. धारा 127क के खंड (घ) और (ङ) के बाद एक नया खंड इंटेरिम बोर्ड, इंटेरिम बोर्ड के सदस्य और लंबित आवेदनों को परिभाषित करने के लिए अंतर्विष्ट किया जा रहा है।
- vii. धारा 127ख की उप-धारा (5) के बाद नई उप-धारा (6) इस धारा के अधीन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख का उपबंध करने के लिए अंतर्विष्ट की जा रही है।
- viii. धारा 127ग की उप-धारा (11) के बाद नई उप-धारा (12) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127ग की उप-धाराओं को इंटेरिम बोर्ड के संबंध में अनुप्रयोजनीय बनाने के लिए अंतर्विष्ट की जा रही है।
- ix. धारा 127घ की उप-धारा (2) के बाद नई उप-धारा (3) अंतर्विष्ट की जा रही है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि सेटलमेंट कमीशन की शक्तियों का प्रयोग इंटेरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों के साथ इंटेरिम बोर्ड पर उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे कि सेटलमेंट कमीशन पर लागू होते हैं।
- x. धारा 127च की उप-धारा (4) के बाद नई उप-धारा (5) अंतर्विष्ट की जा रही है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि सेटलमेंट कमीशन की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या निष्पादन इंटेरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- xi. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127छ में एक परंतुक अंतर्विष्ट किया जा रहा है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि इस धारा के अधीन सेटलमेंट कमीशन की शक्तियों और कत्यों का प्रयोग या निष्पादन इंटेरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

xii. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 127ज की उप-धारा (3) के बाद नई उप-धारा (4) अंतर्विष्ट की जा रही है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि इस धारा के अधीन सेटलमेंट कमीशन की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग या निष्पादन इंटेरिम बोर्ड द्वारा किया जाएगा। ये परिवर्तन वित्त विधेयक, 2025 को स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

क.2 सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधन

- क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है:
 - i. कतिपय औद्योगिक टैरिफ मदों पर टैरिफ दरों को संशोधित करना
 - ii. अध्याय 10,20,27,28,29,38 और 71 में 178 नई प्रविष्टियां जोड़ना तथा 63 टैरिफ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित करना/हटाना; अध्याय 10, 20, 29 और 38 में अनुपूरक टिप्पणियां अंतर्विष्ट करना तथा 2 अनुपूरक टिप्पणियों को संशोधित करना। इसका उद्देश्य टैरिफ लाइनों को डब्ल्यूसीओ वर्गीकरण के अनुरूप बनाना तथा माल की बेहतर पहचान करना है।

ये परिवर्तन 1.5.2025 से प्रभावी होंगे।

ख. जीएसटी कानूनों में विधायी परिवर्तन

[जैसा कि अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय ये परिवर्तन जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुसार, राज्यों के साथ समन्वय से अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे]

व्यापार सुविधा के लिए संशोधन

ख.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 में संशोधन:

- क) जिन अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना होता है, उन अंतर-राज्यीय आपूर्तियों के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर क्रेडिट के वितरण का सुस्पष्ट उपबंध करने के लिए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4) में संदर्भ अंतर्विष्ट करके खंड (61) को संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।
- ख) खंड (69)(ग) में "स्थानीय प्राधिकरण" की परिभाषा में प्रयुक्त "स्थानीय निधि" और "नगरपालिका निधि" शब्दों की परिभाषाओं का उपबंध करने के लिए स्पष्टीकरण अंतर्विष्ट करने हेतु उक्त खंड को संशोधित किया जा रहा है, ताकि उक्त शब्दों का दायरा स्पष्ट किया जा सके।
- ग) ट्रैक एंड ट्रेस व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट पहचान मार्किंग की परिभाषा का उपबंध करने के लिए नया खंड (112क) अंतर्विष्ट किया जा रहा है।

ख.2 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 12 और 13 में संशोधन

वाउचरों के संबंध में आपूर्ति के समय से संबंधित धारा 12 की उप-धारा (4) और धारा 13 की उप-धारा (4) का लोप किया जा रहा है।

ख.3 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17 में संशोधन

1 जुलाई, 2017 से "संयंत्र या मशीनरी" शब्दों को "संयंत्र और मशीनरी" शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए उप-धारा (5) के खंड (घ) को संशोधित किया जा रहा है।

ख.4 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 20 में संशोधन

जिन अंतर-राज्यीय आपूर्तियों पर कर का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना होता है, उन अंतर-राज्यीय आपूर्तियों के संबंध में इनपुट सेवा वितरक द्वारा इनपुट कर क्रेडिट के वितरण का सुस्पष्ट उपबंध करने के लिए एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) और उप-धारा (4), धारा 20 की उप-धारा (1) में संदर्भ अंतर्विष्ट करके धारा 20(1) और धारा 20(2) को संशोधित किया जा रहा है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

ख.5 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 में संशोधन

यदि किसी क्रेडिट नोट के संबंध में आपूर्तिकर्ता की कर देनदारी में कमी के प्रयोजनार्थ पंजीकृत प्राप्तकर्ता को उक्त क्रेडिट नोट प्राप्त हुआ हो तो उस क्रेडिट नोट के संबंध में तत्स्थानी इनपुट कर क्रेडिट के उलटाव की अपेक्षा का स्पष्ट उपबंध करने के लिए उप-धारा (2) के परंतुक को संशोधित किया जा रहा है।

ख.6 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 38 में संशोधन

- क) "स्वतः सृजित" शब्दों का लोप करने के लिए धारा 38(1) को संशोधित किया जा रहा है।
- ख) खंड ख में "स्वतः सृजित" शब्दों का लोप करने और "प्राप्तकर्ता द्वारा" शब्दों के बाद "सहित" शब्द अंतर्विष्ट करने के लिए धारा 38(2) को संशोधित किया जा रहा है, ताकि उक्त खंड को अधिक समावेशी बनाया जा सके।
- ग) इनपुट टैक्स क्रेडिट के विवरण में उपलब्ध कराए जाने वाले अन्य ब्यौरे विहित करने हेतु अनुकूल खंड का उपबंध करने के उद्देश्य से नया खंड (ग) अंतर्विष्ट करने के लिए धारा 38 (2) को भी संशोधित किया जा रहा है।

ख.7 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 में संशोधन

विवरणी दायर करने के लिए कतिपय शर्तें और निर्बंधन विहित करने के उद्देश्य से अनुकूल खंड का उपबंध करने के लिए धारा 39(1) को संशोधित किया जा रहा है।

ख.8 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 107 और 112 में संशोधन

- क) कर की मांग के बिना केवल जुर्माने की मांग के मामलों में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपीलों के लिए जुर्माने की 10 प्रतिशत अनिवार्य राशि पहले से जमा करने का उपबंध करने के लिए धारा 107(6) को संशोधित किया जा रहा है।
- ख) कर की मांग के बिना केवल जुर्माने की मांग के मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलों के लिए जुर्माने की 10 प्रतिशत अनिवार्य राशि पहले से जमा करने का उपबंध करने के लिए धारा 112(8) को संशोधित किया जा रहा है।

ख.9 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की नई धारा 122ख का अतर्वेशन

धारा 148क के अधीन उपबंधित ट्रैक और ट्रेस व्यवस्था से संबंधित उपबंधों के उल्लंघनों के लिए जुर्माने का उपबंध करने के लिए नई धारा 122ख अंतर्विष्ट की जा रही है।

ख.10 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की नई धारा 148क का अंतर्वेशन

ख.11 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की अनुसूची 3 में संशोधन

अनुसूची 3 दिनांक 01.07.2017 से संशोधित की जा रही है:

- क) पैराग्राफ 8 में एक नई प्रविष्टि (कक) अंतस्थापित करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि निर्यात अथवा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र के लिए क्लीयरेंस से पहले विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में भंडार किए गए माल अथवा मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र से की गई आपूर्ति को न तो माल की आपूर्ति माना जाएगा और न ही सेवाओं की आपूर्ति माना जाएगा।
- ख) यह स्पष्ट करने के लिए दिनांक 01.07.2017 से स्पष्टीकरण 2 में संशोधन करना कि उक्त स्पष्टीकरण पैराग्राफ 8 की प्रविष्टि (क) के संबंध में लागू होगी।
- ग) पैराग्राफ 8 में प्रस्तावित प्रविष्टि (कक) के प्रयोजनार्थ 'विशेष आर्थिक क्षेत्र', 'मुक्त व्यापार भंडारण क्षेत्र' और 'घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र' शब्दावली को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण 3 अंतस्थापित किया जाएगा।
- घ) यह प्रावधान करने के लिए कि पहले से ही भुगतान किए गए कर का कोई रिफंड उपर्युक्त संदर्भित लेनदेन के लिए उपलब्ध नहीं होगा।

ग. वित्त विधेयक में अन्य प्रावधान

ग.1 कतिपय मामलों में सेवा कर से छूट के लिए विशेष प्रावधान:

मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एमएनएआईएस) के अंतर्गत पुनर्बीमा सेवा के रूप में बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमित दी गई सेवाओं को 01 अप्रैल, 2011 से शुरू करते हुए 30 जून, 2017 तक की अविध के लिए सेवा कर से छूट दी जा रही है।

घ. सीमा शुल्क की दरों में परिवर्तन

घ.1. इनपुट लागत को घटाने, मूल्य वर्धन को बढ़ाने, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ावा देने, प्रतिलोम शुल्क संरचना को दुरूस्त करने, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने आदि के लिए सीमा शुल्क की दरों में कटौती [2.2.2025 से प्रभावी]

	हस्त करम, परेषू विभिन्नाय का अस्ति।हित करमे जादि के लिए तामा सुरक का दरा	11 11 [Z.	2.2020 (1 4 4 1 4 1)
क्र.सं.	वस्तु	से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
l.	जलीयकृषि एवं समुद्री निर्यात	(אומאומ)	(אומיות)
1.	, <u> </u>		
1.	निर्यात हेतु सुरीमी एनलोग	30	5
	उत्पादों को बनाने के लिए फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी)		
2.	अक्वाटिक फीड की विर्निमाण के लिए फिश हाइड्रोलिसेट	15	5
II.	रसायन		
1.	टैरिफ के उप-शीर्ष 2973 59 के अंतर्गत वर्गीकृत संरचना में पायरीमीडाइन		
	रिंग (चाहे हाइड्रोजेनेटिड हो अथवा नहीं) या पाइपरेजाइन रिंग वाले अन्य	10	7.5
	कम्पाउंड		
2.	टैरिफ के उप-शीर्ष 3302 10 के अंतर्गत वर्गीकृत खाद्य एवं पेय उद्योग में		
	उपयोग होने वाले एक प्रकार के सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेन्स और मिश्रित	100	20
	ओडोरिफेरोस पदार्थ		
3.	टैरिफ के उप-शीर्ष 3824 60 के अंतर्गत वर्गीकृत सॉरबीटॉल	30	20
III.	महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं स्क्रैप तथा अन्य वस्तु		
1.	74040012, 74040019 और 74040022 टैरिफ मदों के अंतर्गत शामिल	10/5/2.5	शून्य
	एंटीमॉनी, बेरेलियम, बिसमुथ, कोबाल्ट, कैडमियम, मोलिब्डेनम, रहिनियम,		
	टेंटालुम, टिन, टंग्सटन, जिर्कोनिमय, कॉपर स्क्रैप		
2.	लीथियम ऑयन बैटरी का अपशिष्ट एवं स्क्रैप	5	शून्य
3.	कोबाल्ट पाउडर	5	शून्य
4.	पारे का अपशिष्ट एवं स्क्रैप	5	शून्य
5.	जिंक का अपशिष्ट एवं स्क्रैप	5	शून्य
IV.	औषधि एवं दवाइयां		
1.	सूची 3 में 6 और दवाइयों तथा उनके विनिर्माण हेतु थोक औषधियों को जोड़ना	यथा लागू	5
2.	सूची 4 में 36 और दवाइयों तथा उनके विनिर्माण हेतु थोक औषधियों को जोड़ना	यथा लागू	शून्य
3.	37 और दवाइयों तथा 13 रोगी सहायता कार्यक्रमों को जोड़ाना	यथा लागू	शून्य

क्र.सं.	वस्त्	से	तक
		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
V.	मूल्यवान धातू		
1.	प्लेटिनम फाइर्डिंग्स	25	6.4
			(5 बीसीडी +
			1.4 एआईडीसी)
VI.	वस्त्र, हस्तशिल्प एवं चमड़ा क्षेत्र		
1.	वेट ब्लू लेदर	10	शून्य
2.	कपड़ा उद्योग में उपयोग हेतु शटल लैस लूम रेपियर लूम (650 मीटर प्रतिमिनट से कम) और शटल लैस लूम एयरजैट लूम्स (1000 मीटर प्रति मिनट से कम)	7.5	शून्य
3.	हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माताओं के लिए निर्यातकर्ताओं द्वारा शुल्क मुक्त आयात के लिए कतिपय अतिरिक्त मदें	यथा लागू	शून्य
VII.	पूंजीगत वस्तुएं		
1.	ईवी की लिथियम आयन बैट्री के विनिर्माण मे उपयोग हेने वाली 35 पूजीगत वस्तुओं/मशीनरी तथा मोबाइल फोन की लिथियम आयन बैट्री के विनिर्माण में	यथा लागू	शून्य
	उपयोग में आने वाली 28 पूंजीगत वस्तुओं/मशीनरी को शामिल करना		
VIII.	आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक		
1.	पीसीबीए, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टरों के इनपुट्स/पार्ट्स और सब-पार्ट्स तथा वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और रिसिवर, यूएसबी केवल फिंगरप्रिंट	2.5	शून्य
	रीडर/सेल्यूलर मोबाइल फोन के सेंसर के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले		
	इनपुट अथवा कच्चा माल		
2.	टीवी पैनलों के ओपन सैल के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले विनिर्दिष्ट इनपुट/पार्ट (चिप ऑन फिल्म, पीसीबीए, ग्लास बोर्ड/सबस्ट्रेट सैल)	2.5	शून्य
3.	इथरनेट स्विचिज कैरियर ग्रेड	20	10
4.	इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल के लिए ओपन सैल (टच सहित अथवा रहित) इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल के विनिर्माण में उपयोग में आने वाले टच ग्लास और टच सेंसर पीसीबी	15/10	5
IX.	अंतरिक्ष क्षेत्र		
1.	स्पेयर पार्ट और उपभोज्यों सहित उपग्रहों के लिए भूस्थापन	यथा लागू	शून्य
2.	प्रक्षेपण यानों और उपग्रह प्रक्षेपित करने में काम में आने वाली वस्तुएं	5	शून्य
X.	मोटरसाइकिल		
1.	(i) ईंजन क्षमता < 1600 सीसी (सीबीयू)	50	40
	(ii) सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी)	25	20
	(iii) पूर्ण-नॉक्ड डाउन (सीकेडी)	15	10
2	(i) ईंजन क्षमता 1600 सीसी और इससे अधिक (सीबीयू)	50	30
	(ii) सेमी-नॉक्ड डाउन (एसकेडी)	25	20
	(iii) पूर्ण-नॉक्ड डाउन (सीकेडी)	15	10

घ.2. सीमा शुल्क कर में बढ़ोत्तरी [02.02.2025 से प्रभावी]

क्र.सं.	वस्तुएं		शुल्क दर
		से	तक
		प्रतिशत	(प्रतिशत)
I.	फैब्रिक्स		
1.	प्रशुल्क मद सं. 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31	10/20	20 अथवा प्रतिकिलो
	00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 and		115 रुपए जो भी
	6006 90 00 कवर किए गए बुने हुए फैब्रिक्स		अधिक हो
II	इलेक्ट्रॉनिक्स		
1	प्रशुल्क वस्तु 8528 59 00 के अंतर्गत वर्गीकृत इंटरेक्टिव फ्लेट पैनल	10	20
	डिस्प्ले		

घ.3. प्रभावी दरों में किसी परिवर्तन के बिना प्रशुल्क में कमी [02.02.2025 से प्रभावी]

1.	टैरिफ वस्तु 1520 00 00 द्वारा कवर किए गए ग्लिसरोल क्रूड, ग्लिसरोल वॉटर, ग्लिसरोल लाइ	30	20
2.	फॉसफोरिक एसिड	20	7.5
3.	प्रशुल्क वस्तु 3824 99 00 के अंतर्गत कवर किए गए अन्य – तैयार बाइंडर्स, रसायनिक उत्पाद एवं रसायन अथवा संबद्ध उद्योगों के सम्मिश्रण	17.5	7.5
4.	मार्बल और ट्रैवरटाइन, ग्रेनाइट, ब्लॉक्स, स्लैब्स, अन्य में रफली ट्रम्ड और कटे हुए (प्रशुल्क उप-शीर्ष 2515 12 और प्रशुल्क मदें, 2525 11 00, 2516 11 00, 2516 12 00)	40	20 (+20 एआईडीसी)
5.	टैरिफ शीर्ष 3406 द्वारा कवर किए गए कैंडल, टैपर्स और सदृश्य वस्तु	25 (+2.5 एसडब्ल्यूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
6.	अन्य रैफेरेंस मटीरियल	30	10
7.	पीवीसी फ्लैक्स बैंनर सहित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म और पीवीसी फ्लैक्स शीट्स (प्रशुल्क शीर्ष 3920, 3921)	25 (+2.5 एसडब्ल्यूएस)	20 (+7.5 एआईडीसी)
8.	प्रशुल्क शीर्ष 6401 से 6405 के अंतर्गत शामिल फुटवेयर	35	20
		(+3.5 एसडब्ल्यूएस)	(+18.5 एआईडीसी)
9.	6802 99 00 को छोड़कर 6802 शीर्ष के अंतर्गत तैयार मॉन्यूमेंटल अथवा भवन पत्थर और इससे जुड़ी मदें	40	20
10	6802 10 00 , 6802 21 10 , 6802 21 20 , 6802 21 90 , 6802 91 00 and 6802 92 00 टैरिफ मदों के अंतर्गत वर्गीकृत मार्बल स्लैब	40	20 (+20 एआईडीसी)
11.	0.5 एमएम से कम मोटाई वाले ओटीएस/एमआर टाइप-फ्लैट रोल्ड उत्पाद	27.5	15
12.	0.5 एमएम से कम मोटाई वाले अन्य प्लेट, शीट्स, स्ट्रीप्स	27.5	15

13.	4.75 एमएम से अधिक अथवा उसके बराबर किन्तु 10 एमएम से कम मोटाई वाले कॉयल्स में फ्लैट-रोल्ड प्रोडक्ट्स	22.5	15
14.	3 एमएम से अधिक अथवा उसके बराबर किन्तु 4.75 एमएम से कम मोटाई वाले कॉयल्स में फ्लैट-रोल्ड प्रोडक्ट्स	22.5	15
15.	600 एमएम अथवा उससे अधिक चौड़ाई के स्टेनलैस स्टील के फ्लेट-रोल्ड्स प्रोड्क्ट-अन्य निकल क्रोम ओस्टेनिटिक टाइप	22.5	15
16.	600 एमएम अथवा उससे अधिक चौड़ाई के स्टेनलैस स्टील के	22.5	15
17.	फ्लेट-रोल्ड्स प्रोड्क्ट-अन्य अन्य शीट्स एवं प्लेट अन्य अलोय स्टील ग्रेन ऑरिएंटेड प्लेट रोल्ड प्रोडक्ट	20	15
18.	स्टेनलेंस स्टील की अन्य ट्यूब्स अथवा पाइप	25	15
19.	लौहे अथवा स्टील की नॉन-गैल्वेनाइज्ड अन्य फिटिंग	25	15
20.	लौहे और स्टील के अन्य खण्ड एवं खण्डों के भाग	25	15
21.	अन्य-टैंक एवं ड्रम आदि	25	15
22.	नट रहित और नट सहित अन्य पैच और बोल्ट	25	15
23.	श्रेडिड नट	25	15
24.	अन्य नॉन-थ्रेडिड आर्टिकल	25	15
25.	लौहे/स्टील की अन्य स्प्रिंग्स और लीव्स	25	15
26.	लौहे और स्टील के अन्य कास्ट आर्टिकल	25	15
27.	फॉर्ज्ड अथवा स्टेम्पड लेकिन और परिष्कृत नहीं की गई वस्तुएं	25	15
28.	लौहे/स्टील की सभी अन्य वस्तुएं	25	15
29.	टैरिफ शीर्षक 8541 द्वारा कवर किए गए सौलर सैल	25	20
		(+2.5 एसड्ब्यूएस)	(+7.5
			एआईडीसी)
30.	टैरिफ शीर्ष 8703 >यूएसडी 40000 के अंतर्गत स्टेशन वैंगन और	125 (टैरिफ दर)	70 (टैरिफ दर)
	रेसिंग कारों सहित लोगों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई मोटर कारें तथा अन्य मोटर वाहन		
	का गई माटर कार तथा अन्य माटर वाहन	(100 बीसीडी + 10	(70+ 40
		एसडब्ल्यूएस)	एआईडीसी)
31.	टैरिफ शीर्ष 8703 के अंतर्गत स्टेशन वैंगन और रेसिंग कारों सहित	125 (टैरिफ)	70 (टैरिफ)
	लोगों के परिवहन के लिए मुख्य रूप से डिजाइन की गई पुरानी	(125 बीसीडी +	(70+ 67.5
	मोटर कारें तथा अन्य मोटर वाहन	12.5 एसडब्ल्यूएस)	एआईडीसी)
32.	टैरिफ शीर्षक 8711 के अंतर्गत मोटरसाइकिलें (मोपेड सहित) और	100 (टैरिफ)	70(टैरिफ)
	साइड कारों सहित अथवा रहित एक ऑक्जीलरी मोटर के साथ साइकिल	(प्रभावी दर में कोई	(प्रभावी दर में
	71121 II/1	परिवर्तन नहीं)	कोई परिवर्तन
			नहीं)
33.	टैरिफ शीर्षक 8711 के अंतर्गत पुरानी मोटरसाइकिलें (मोपेड	100 (टैरिफ)	70 (टैरिफ)
	सहित) और साइड कारों सहित अथवा रहित एक ऑक्जीलरी मोटर के साथ साइकिल	(100 बीसीडी +10	(70+ 40
	ু কি বাৰ বাহাপৰ	एसडब्ल्यूएस)	(701 4 0 एआईडीसी)
			્રગારગાતા)

34.	टैरिफ मद 8712 00 10 के अंतर्गत बाइसिकल	35	20
			(+15 एआईडीसी)
35.	टैरिफ शीर्ष 8903 के अंतर्गत शामिल मनोरंजन अथवा खेल संबंधी	25	20
	याच्ट्स और अन्य जलयान; रोर्विंग बोट और कैनोइज	(+2.5 एसडब्ल्यूएस)	(+7.5
			एआईडीसी)
36	टैरिफ शीर्षक 9028 के अंतर्गत अल्टरनेटिंग करंट के लिए गैस मीटर	25	20
		(+2.5 SWS)	(+7.5
			एआईडीसी)
37	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के विनिर्माण के लिए मद 9503 00 91 के	25 बीसीडी + 2.5	20 बीसीडी +
	अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पुर्जे	एसडब्ल्यूएस	7.5 एआईडीसी

ख.4. प्रभावी दर में कटौती के साथ प्रशुल्क दर में कमी [02.02.2025 से प्रभावी]

क्र.सं.	क.सं. वस्तु <u>शुल्क की दर</u>		
		से	तक
		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1.	खाद्य और पेय उद्योग में उपयोग के लिए	100	20
	मिश्रित ओडोरीफेरस पदार्थ और सिंथेटिक		(+2 एसडब्ल्यूएस)
	फ्लेवरिंग एसेंसेज्		
2.	टैरिफ उपशीर्ष 3824 60 के अधीन	30	20
	सोरबिटोल	(+3 एसडब्ल्यूएस)	(+2 एसडब्ल्यूएस)
3.	टैरिफ शीर्ष 7113 के अधीन आभुषण	25	20
	उत्पाद और उसके पार्टस; टैरिफ शीर्ष		
	7114 के अधीन सोनार (गोल्डस्मिथ)		
	और सिल्वर स्मिथ के माल और उनके		
	पार्टस		
4.	टैरिफ शीर्ष 8541 के अधीन सौर माड्यूल	40	20
		(+4 एसडब्ल्यूएस)	(+20 एआईडीसी)
5.	टैरिफ शीर्ष 8702 के अधीन आने वाले	40	20
	मोटर वाहन (सवारियों के लिए)	(+4 एसडब्ल्यूएस)	(+20 एआईडीसी)
6.	टैरिफ शीर्ष 8704 के अधीन आने वाले	40	20
	मोटर वाहन (माल के लिए)	(+4 एसडब्ल्यूएस)	(+20 एआईडीसी)
7.	टैरिफ शीर्ष 9401 के अधीन आने वाले	25	20
	सीट (शीर्ष 9402 के अधीन आने वाले को	(+2.5 एसडब्ल्यूएस)	(+5 एआईडीसी)
	छोड़कर), चाहे बेड्स में कवर योग्य हो या		
	न हो और उनके पार्टस		
8.	टैरिफ शीर्ष 9403 के अधीन शामिल अन्य	25	20
	फर्नीचर और उनके पार्ट्स	(+2.5 एसडब्ल्यूएस)	(+5 एआईडीसी)
9.	टैरिफ शीर्ष 9405 के अधीन आने वाले		20
	मैट्रेस स्पोर्ट, बेर्डिंग की सामग्रियां और	(+2.5 एसडब्ल्यूएस)	(+5 एआईडीसी)
	समान प्रकार के फर्निशिंग आदि		
10.	सर्चलाइट और स्पोर्टलाइट सहित	25	20
	ल्यूमनेरिज और लाइट फिटिंग और उनके	(+2.5 एसडब्ल्यूएस)	(+5 एआईडीसी)
	पार्ट्स		

11.	टैरिफ मद 9503 00 91 के अधीन	70	20
	इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के पार्ट्स		(+20 एआईडीसी)
12.	टैरिफ मद 9802 00 00 (उनको छोड़कर	150	70
	जिन पर विशिष्ट अंतिम उपयोग पर	(+15 एसडब्ल्यूएस)	(+70 एआईडीसी)
	10प्रतिशत बीसीडी लगता है) के अधीन		
	प्रयोगशाला कैमिकल्स		
13.	टैरिफ शीर्ष 9803 के अधीन शुल्क लगने	100	70
	वाले सभी सामान, जो किसी यात्री अथवा	(प्रभावी दर	(प्रभावी दर
	किसी क्रू मेम्बर द्वारा उसके यात्री सामान	-35+3.5 एसडब्ल्यूएस)	35)
	में आयातित		
14.	10 प्रतिशत बीसीडी वाले सामानों के	35	20
	अतिरिक्त शीर्ष 9804 के अधीन वर्गीकृत	(+3.5 एसडब्ल्यूएस)	
	व्यक्तिगत उपयोगं के लिए आयातित शुल्क		
	प्रभार वाले माल		

ड़ चमड़े पर निर्यात शुल्क (2.2.2025 से लागू)

क्र.सं.	सामान	शुल्क की दर	
		से	तक
		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1.	क्रस्ट लैदर (हाइड्स एंड	20	0
	स्किन)		

च. व्यापार सुविधा के उपाय (ट्रेड फैसिलिटेशन मेज़र्स)

च. 1. हस्तकला की वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि में बढ़ोत्तरी

वास्तविक (बोनाफाइड) निर्यातकों द्वारा शुल्क रहित इनपुट्स से विनिर्मित हस्तकला सामानों के निर्यात की समयाविध 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की जा रही है जो इसके बाद भी 3 महीने बढ़ाने योग्य होगी।

च. 2.) लैब ग्रोन हीरे के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीजों (सीड्स) के आयात के लिए कस्टम्स (रियायती शुल्क दर पर माल का आयात) नियमावली 2022 (आईजीसीआर) शर्त।

लैब ग्रोन हीरो के विनिर्माण में उपयोग के लिए बीजों (सीड्स) के आयात पर शुल्क से छूट के लिए आईजीआर शर्त को हटाय़ा गया है।

च. 3. निर्यात के लिए समय-सीमा बढ़ाना

मरम्मत कार्यों के लिए आयातित रेलवे के माल को निर्यात के लिए समय-सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष किया जा रहा है जो एक वर्ष और आगे बढ़ाया जा सकेगा।

च. 4. सीमा शुल्क संशोधन (रियायती दर पर माल के आयात पर शुल्क अथवा विशिष्ट अंतिम उपयोग के लिए (फॉर स्पेशिफिक एंड यूज)) नियमावली 2022

अंतिम उपयोग की पूर्ति कि समय सीमा वर्तमान 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने और मासिक विवरण के स्थान पर केवल तिमाही विवरण दाखिल करने के लिए नियम 6 और 7 में संशोधन किए जा रहे हैं।

टिप्पणः एआईडीसी – कृषि अवसंरचना तथा विकास उपकर; एसडब्ल्यूएस – सामाजिक कल्याण अधिभार

छ. अन्य

छोटी (माइनर) प्रकृति के कुछ अन्य शुल्क भी हैं। बजट प्रस्तावों के ब्यौरे के लिए, व्याख्यात्मक ज्ञापन और अन्य संगत बजट दस्तावेज का संदर्भ लिया जा सकता है।

भाग ख के लिए अनुलग्नक प्रत्यक्ष करों से संबंधित सुधार

- (i) मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार
- 1. इस नई कर व्यवस्था के अंतर्गत नई स्लैबों और कर दरों के साथ उल्लेखनीय राहत का प्रस्ताव किया जाता है:-

कुल आय	कर की दर
4,00,000 रुपए तक	शून्य
4,00,001 रुपए से 8,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
8,00,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
12,00,001 रुपए से 16,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
16,00,001 रुपए से 20,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
20,00,001 रुपए से 24,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
24,00,000 रुपए से ऊपर	30 प्रतिशत

2. आयकर पर छूट

- नई कर व्यवस्था के अंतर्गत राहत के कारण 7,00,000/- रुपए तक कुल आय वाले निवासी व्यक्ति किसी भी कर का भुगतान नहीं करते हैं। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत निवासी व्यक्ति के लिए यह राहत बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है, ताकि वे कर का भुगतान न करें, यदि उनकी कुल आय 12,00,000/- रुपए तक हो। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व में दी गई थोड़ी राहत भी लागू है, यदि आय 12,00,000/- रुपए से थोड़ी अधिक ह
- कर लाभ की गणना के लिए कुछ उदाहरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

आय	स्लैब और दर पर कर		लाभ	छूट के	कुल लाभ	छूट लाभ के
				लाभ		पश्चात कर
	वर्तमान	प्रस्तावित	दर/स्लैब	12 लाख		
				तक पूर्ण		
8 लाख	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 लाख	40,000	30,000	10,000	30,000	40,000	0
10	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
लाख						
11	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
लाख						
12	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
लाख						

16	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
लाख						
20	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
लाख						
24	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
लाख						
50	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000
लाख						

- (ii) कठिनाइयों को दूर करने के लिए टीडीएस/टीसीएस का युक्तिकरण
- 1. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) की दरों का युक्तिकरणः
 - दरों और अनुपालन के भार की विविधता को कम करने के लिए निम्नलिखित के अनुसार कितपय वर्गों में कितपय
 टीडीएस और टीसीएस को कम करने का प्रस्ताव किया जाता है:

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	वर्तमान टीडीएस/टीसीएस दर	प्रस्तावित
			टीडीएस/टीसीएस
			दर
1.	धारा 194ठखग-किसी प्रतिभूतिकरण न्यास में	25% यदि अदायगी कर्ता कोई	10%
	निवेश के मामले में आय	व्यक्ति है अथवा हिन्दू अविभाजित	
		परिवार (एचयूएफ) है और अन्यथा	
		20%	
2.	धारा 206ग की उप धारा (1) - टिम्बर अथवा कोई	2.5%	2%
	अन्य वन उत्पाद (तेंदु पत्ता नहीं) किसी वन पट्टे के		
	अंतर्गत प्राप्त और किसी वन पट्टे के अधीन के		
	अलावा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त टिम्बर		
3.	धारा 206ग की उपधारा (1छ)- वित्तीय संस्था से	10 लाख रुपए तक शून्य, उसके	शून्य
	ऋण द्वारा से वित्त प्राप्त, शिक्षा के प्रयोजन के लिए	बाद 0.5%	
	एल.आर.एस. के अधीन टीसीएस पर विप्रेषण		
	शुल्क		

• नीचे दिए अनुसार कतिपय धाराओं के अधीन स्रोत पर कर कटौती अथवा स्रोत पर कर संग्रहण में कमी लाने की अपेक्षा के लिए कतिपय प्रारंभिक सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव किया जाता है:

क्र.सं. 1.	अधिनियम की धारा 193-प्रतिभूतियों पर ब्याज	वर्तमान टीडीएस/टीसीएस प्रारंभिक सीमा (रुपए में)	प्रस्तावित टीडीएस/टीसीएस प्रारंभिक सीमा (रुपए में) 10,000/-
2.	194क- प्रतिभूतियों पर ब्याज से इतर	(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000/-(ii) 40,000/-(iii) 5,000/-अन्य मामलों में	(i)वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,00,000/- (ii)50,000/- (iii)अन्य मामलों में 10,000/-
3.	194 – व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लाभांश	5,000/-	10,000/-
4.	194ट – विशिष्ट कंपनी अथवा उद्यमों के लिए मुच्युअल फंड की इकाईयों के संबंध में आय	5,000/-	10,000/-
5.	194बी – लॉटरी, क्रॉसवर्ड पज्जल इत्यादि से विजेता	वित्त वर्ष के दौरान 10,000/- से अधिक समष्टि राशि	10,000/- एकल लेनदेन के संबंध में
6.	194बीबी- हॉसरेस से विजेता		
7.	194घ- इंश्योरेंस कमीशन	15,000/-	20,000/-
8.	194छ-लॉटरी टिकट पर कमीशन आय, इनाम इत्यादि	15,000/-	20,000/-
9.	194ज- कमीशन अथवा दलाली	15,000/-	20,000/-
10.	194-झ किराया	2,40,000/- वित्त वर्ष के दौरान	50,000/-प्रतिमाह अथवा महीने के भाग के रूप में
11.	194ञ- व्यावसायिक और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क	30,000/-	50,000/-
12.	194ठक- बढ़ी हुई प्रतिपूर्ति द्वारा आय	2,50,000/-	5,00,000/-
13.	206ग(1छ) – एलआरएस और विदेशी दौरा कार्यक्रम के अंतर्गत धन प्रेषण	7,00,000/-	10,00,000/-

(iii) स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना

- 1. अद्यतित विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को बढ़ाना
 - अद्यतित विवरणी को प्रस्तुत करने की समय-सीमा को मौजूदा 24 माह से संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत से 48
 माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाता है। संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत में 24 माह से 36 माह की अविध के

दौरान दर्ज की जाने वाली अद्यतित विवरणी के लिए अतिरिक्त आय पर देय अतिरिक्त कर, कुल कर और ब्याज का 60% होगा। जबिक कितपय शर्तों के अध्यधीन संबंधित निर्धारण वर्ष के अंत में 36 माह से 48 माह की अविध के दौरान दर्ज की जाने वाली अद्यतित विवरणी के लिए देय अतिरिक्त कर कुल कर और ब्याज का 70% होगा।

2. क्रिप्टो आस्ति के संबंध में सूचना देने की बाध्यताः

- इस अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि एक क्रिप्टो परिसंपत्ति के संबंध में एक विहित रिपोर्टिंग निकाय ऐसी क्रिप्टो आस्ति में संव्यवहार के संबंध में सूचना को यथा विहित विवरण में प्रस्तुत करेगा। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि वर्चुअल डिजीटल आस्ति की परिभाषा को तदनुसार सुसंगत बनाया जाए।
- 3. स्व कब्जे वाली सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य को सरल किया गया
 - यह विहित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि एक घर अथवा उसके भाग से मिलकर बनी सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य शून्य लिया जाएगा यदि उसका स्वामी अपने आवास के लिए उसको कब्जे में रखता है अथवा किसी अन्य कारण से उसको कब्जे में नहीं रख पाता है।

(iv) अनुपालन के बोझ को कम करना

- 1. विशिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर टीसीएस को हटाकर अनुपालन के बोझ को कम करनाः
 - करदाताओं के अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि पचास लाख से अधिक मूल्य की विशेष वस्तुओं की बिक्री के स्रोत पर कोई कर नहीं लिया जाएगा।
- 2. आय की विवरणी दाखिल नहीं करने वाले लोगों के लिए उच्च टीडीएस/टीसीएस दर को हटाना:
 - कटौतीकर्ता/समाहर्ता पर अनुपालन के बोझ कम करने के लिए, अधिनियम की धारा 206कख और धारा 206गगक को विलोपित करने का प्रस्ताव किया जाता है।
- 3. "वन उत्पाद" की परिभाषा को तर्कसंगत बनाना:
 - अधिनियम की धारा 206ग(7) के तहत "वन उत्पाद" के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है ताकि इसकी परिभाषा से संबंधित किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सके।
 - यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि टीसीएस "किसी अन्य वन उत्पाद, जो वन पट्टे के तहत प्राप्त किया जाता है" पर ही अर्जित किया जाएगा।

(v) व्यापार करने की सुगमता

- 1. स्टार्ट-अप के लिए आईएसी की धारा 80 की समय-सीमा में विस्तार
 - यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्टार्ट-अप हेतु पांच वर्षों की एक और अवधि के लिए आईएसी की धारा
 80 के तहत प्रदत्त लाभ में विस्तार किया जाएगा, अर्थात् यह लाभ 01.04.2030 से पहले शामिल
 पात्र स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध होगा।

2. अनिवासी द्वारा किए गए प्रतिभूतियों के अंतरण पर दीर्घावधिक पूंजीगत लाभ की दरों में समानता:

 यह प्रस्ताव है कि विदेशी निवेशक होने के नाते निवासियों और अनिवासियों के बीच प्रतिभूतियों के अंतरण पर दीर्घावधिक पूंजीगत लाभों के रूप में उनकी आय पर पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से संबंधित पूंजीगत लाभ के कराधान के बीच समानता लाई जाएगी।

3. धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं के लिए कर प्रावधानों का सरलीकरण:

- यह प्रस्ताव किया जाता है कि छोटे न्यासों अथवा संस्थान के पंजीकरण की वैधता की अविध को 5
 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष किया जाएगा।
- यह प्रस्ताव है कि न्यास अथवा संस्थान का पंजीकरण रद्द करने के संबंध में विनिर्दिष्ट उल्लंघन की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया जाएगा ताकि यह अपूर्ण आवेदनों जैसी छोटी त्रुटियों पर लागू न हो।
- यह प्रस्ताव है कि छूट की मनाही के संबंध में किसी न्यास अथवा संस्थान को काफी मात्रा में अंशदान करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

4. व्यावसायिक न्यासों के कराधान को युक्तिसंगत बनाना:

 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि व्यावसायिक न्यास की कुल आय जिस पर अधिकतम सीमांत दर के आधार पर कर लगाया जाता है, वह अधिनियम की धारा 112क के प्रावधानों के भी अध्यधीन होगा क्योंकि यह अधिनियम की धारा 111क और धारा 112 के प्रावधानों के अध्यधीन है।

5. व्यावसाय के संबंध में लागू महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति को सामंजस्यपूर्ण बनाना:

 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि भारत में किसी अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति में निर्यात के उद्देश्य से भारत में वस्तुओं की खरीद के लिए प्रतिबंधित लेनदेन अथवा कार्यकलाप शामिल नहीं होंगे।

6. यूनिट आधारित बीमा नीति के रिडेम्पसन पर आय में स्पष्टता लाना:

यह स्पष्ट करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि यूनिट आधारित बीमा नीतियों के रिडेम्पसन से हुए
 उन लाभ और प्राप्तियों, जिन पर धारा 10 (10घ) के तहत छूट लागू नहीं होती, पर पूंजीगत लाभ के
 रूप में कर लगाया जाएगा।

7. पूंजीगत आस्तियों की परिभाषा में संशोधन

• अधिनियम की धारा 115पख में यथा उल्लिखित किसी निवेश निधि के द्वारा प्रतिभूतियों के रूप में पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से हुई आय की प्रभारिता को स्पष्ट करने के लिए पूंजीगत आस्ति की परिभाषा में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है।

8. बहु-वार्षिक आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण के लिए अंतरण मूल्य निर्धारण प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना:

 यह प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है कि समान लेनदेनों के संबंध में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण के लिए अंतरण मूल्य निर्धारण संबंधी प्रावधान 3 वर्षों तक की अविध के लिए लागू नहीं होंगे।

9. टीसीएस के देरी से भुगतान के लिए अभियोजन से छूट:

 यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अभियोजन से छूट देने का प्रावधान किया जाए, जो स्रोत पर संग्रहीत किए गए कर (टीसीएस) का भुगतान केंद्र सरकार को नहीं कर पाया हो, यदि ऐसा भुगतान तिमाही टीसीएस विवरण दाखिल करने के लिए विहित समय पर या उससे पहले किसी भी समय कर दिया जाता है।

10. 'पूंजीगत आस्ति' की परिभाषा में संशोधन:

 अधिनियम की धारा 115 फख में संदर्भित निवेश फंड द्वारा धारित प्रतिभूति रूपी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उत्पन्न होने वाली आय की प्रभार्यता के संबंध में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से पूंजीगत आस्ति की परिभाषा को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

(vi) रोजगार और निवेश

1. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) को प्रोत्साहन

- यह प्रस्ताव किया जाता है कि छूटों, कटौतियों और विभिन्न धाराओं में पुनःस्थापन के लिए आईएफएससी इकाइयों के संबंध में अंतिम समय सीमा 31 मार्च. 2030 तक बढ़ा दी जाएगी।
- आईएफएससी बीमा मध्यवर्ती कार्यालय द्वारा जारी जीवन बीमा पॉलिसी पर प्राप्त आगम को प्रीमियम राशि संबंधी किसी भी शर्त के बिना कर से छुट देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- िकसी शिप लीजिंग स्वदेशी कंपनी के इक्विटी शेयरों के अंतरण पर अनिवासी या आईएफएससी की किसी यूनिट के संबंध में पूंजीगत लाभ पर धारा 10(4ज) के अधीन छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- शिप लीजिंग में कार्यरत आईएफएससी की किसी इकाई को आईएफएससी में शिप लीजिंग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के संबंध में धारा 10(34ख) के अधीन छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहाँ दो समूह संस्थाओं में से कोई एक समूह संस्था ट्रैजरी कार्यकलापों या ट्रैजरी सेवाओं के लिए आईएफएससी में स्थापित है, वहाँ ऐसी दो समूह संस्थाओं के बीच किसी अग्रिम या ऋण को लाभांश से बाहर रखा जाएगा।
- आईएफएससी आधारित फंड प्रबंधक द्वारा संचालित निवेश फंडों के संबंध में सरलीकृत सेफ हार्बर व्यवस्था का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया जाता है। आईएफएससी इकाइयों के लिए 31 मार्च, 2030 तक शर्तों से छूट देने का प्रस्ताव भी किया जाता है।
- विहित शर्तों को पूरा करने वाली अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की इकाई के रूप में किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के साथ किए गए नॉन डिलिवरेबल फारवर्ड कान्ट्रेक्ट के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को अर्जित या प्राप्त होने वाली किसी भी आय को छूट देने का प्रस्ताव किया जाता है।
- यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी पुनःस्थापन में बाद वाले फंड में शेयर या यूनिट या इंटरेस्ट के किस्सिडरेशन
 में किसी मूल फंड (जो आईएफएससीए विनियम, 2022 के अधीन विनियमित रिटेल स्कीम या एक्सचेंज ट्रेडेड
 फंड रहा हो) में शेयरधारक द्वारा धारित किसी शेयर या यूनिट या इंटरेस्ट के अंतरण की गणना पूंजीगत लाभ के
 संबंध नहीं की जाएगी।

2. सॉवरेन वेल्थ फंडों, पेंशन फंडों और अन्य द्वारा निवेश करने की तारीख का विस्तार

- धारा 10(23चङ) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में प्रस्ताव किया जाता है कि निवेश करने की तारीख
 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2030 कर दी जाएगी।
- यह प्रस्ताव भी किया जाता है कि ऐसे विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में उक्त धारा के अधीन दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के संबंध में छूट उपलब्ध होगी, भले ही ऐसे पूंजीगत लाभ धारा 50कक के अधीन अल्पकालिक पूंजीगत लाभ माने जाएं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधा के लिए सेवाएं प्रदान करने वाले अनिवासी के लिए प्रकल्पित कराधान स्कीम

 भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण सुविधा की स्थापना या संचालन के व्यवसाय या उससे जुड़ी इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, आर्टिकल या थिंग के विनिर्माण या उत्पादन की सुविधा में लगे अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया जाता है।

4. अंतर्देशीय जलयानों के लिए टनभार कर स्कीम

 यह प्रस्ताव किया जाता है कि मौजूदा टनभार कर योजना के लाभ भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।

5. एनपीएस वात्सल्य के लिए किए गए अंशदानों के लिए धारा 80गगघ के अधीन कटौती

• आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगघ की उप-धारा (1ख) के अधीन राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस) के लिए उपलब्ध कर लाभ यथा अनुप्रयोजनीय एनपीएस वात्सल्य खातों में किए गए अंशदानों के लिए भी उपलब्ध कराए जाएं।

(vii) अन्य विविध संशोधन

1. राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से आहरण से छूट:

• राष्ट्रीय बचत योजना (एनएसएस) से किए गए आहरणों पर 29 अगस्त, 2024 को या उसके बाद इस योजना के अंतर्गत जमा किसी भी धनराशि और उस पर प्रोद्भूत (accrued) ब्याज पर छूट प्राप्त करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसके संबंध में कटौती को अनुमित दे दी गई है।

2. परिलब्धि का आकलन करने के प्रयोजन के लिए कर्मचारियों की आय पर सीमाओं में वृद्धि:

 धारा 17 के प्रावधानों को संशोधित किए जाने के प्रस्ताव हैं ताकि इन सीमाओं में वृद्धि करने के लिए नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त की जा सके।

3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) को छूट में बढ़ोतरी:

 भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का स्थानांतरण और निरसन) अधिनियम 2002 द्वारा सृजित एसयूयूटीआई को दी जाने वाली छूट को बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक करने का प्रस्ताव किया जाता है।

4. अधिनियम की धारा 271ककख का लागू न होना:

यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित धारा के प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगे जहां
 1 सितम्बर, 2024 को या उसके बाद धारा 132 के अधीन खोज प्रारंभ कर दी गई है।

5. कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाई जाने वाली कुछ शास्तियां:

 शास्ति से संबंधित विभिन्न धाराओं को यह व्यवस्था करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि इन धाराओं के अधीन शास्तियां कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाई जाएंगी, जो संयुक्त आयुक्त, आयकर के पूर्व अनुमोदन से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन होंगी।

6. कतिपय मामलों में योजनाओं को तैयार करने पर प्रतिबंधों की तारीख हटाना:

• यह प्रस्ताव किया जाता है कि कतिपय धाराओं के अधीन पहचान रहित (फेसलेस) योजनाओं के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को मिटा दिया जाए ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि केन्द्रीय सरकार 31 मार्च, 2025 के कट-ऑफ तारीख के बाद भी निर्देशों को जारी कर सके।

7. शास्ति और मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त करने के आवेदन पर कार्रवाई करने की अवधि बढ़ाना:

 यह प्रस्ताव किया जाता है कि कर-निर्धारण अधिकारी शास्ति और मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त करने का अनुरोध करने वाले आवेदन को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के संबंध में उस माह के अंत से तीन महीनों की अविध के भीतर एक आदेश पारित करेंगे जिस महीने में ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था।

8. धारा 115फत के अधीन आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा को बढ़ाना:

- यह व्यवस्था करने के लिए धारा 115फत को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि टनभार कर योजना के लिए चयन करने के निर्धारिती के विकल्प को स्वीकार करने या अस्वीकार करने से संबंधित आदेश उस माह के अंत से तीन महीनों की अविध के समाप्त होने से पहले एक आदेश पारित करेंगे जिस महीने में ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था।
- 9. किसी आदेश को पारित करने के लिए समय-सीमा का आकलन करने के लिए न्यायालय आदेश आदि जैसी अवधि को हटाना:
 - टीसीएस संग्रहण में असफल रहने के मामले में चूककर्ता निर्धारिती के रूप में किसी व्यक्ति के लिए कोई आदेश पारित करने की समय-सीमा से किसी न्यायालय आदेश आदि के द्वारा कार्यवाही पर रोक लगाने की अवधि जैसी कतिपय समय-सीमा हटाने का प्रस्ताव किया जाता है।

10. शास्तियां लगाने की समय-सीमा का युक्तिकरण:

• यह प्रस्ताव किया जाता है कि शास्ति लगाने वाला कोई भी आदेश उस तिमाही के अंत से छह महीने बीत जाने के बाद पारित नहीं किया जाएगा, जिसमें संबंधित कार्यवाही पूरी की गई हो अथवा अपील का आदेश प्राप्त हुआ हो।

11. न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई अवधि के प्रारंभ की तिथि और अंत की तिथि के संबंध में स्पष्टीकरण:

 िकसी न्यायालय के किसी आदेश अथवा निषेधाज्ञा के प्रारंभ की तारीख और अंत की तारीख को स्पष्ट करने के लिए अधिनियम की संगत धाराओं में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

12. जब्त की गई खाता-बहियों अथवा अन्य युक्तिसंगत दस्तावेजों को यथास्थित बनाए रखने की समय-सीमाः

• जब्त की गई खाता-बिहयों अथवा अन्य दस्तावेजों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए तिमाही के अंत से एक माह तक की अविध होनी चाहिए जिसमें निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण अथवा पुनः संगणना की जा सकने के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है।

13. समामेलन के मामले में हानियों को अग्रनीत करने संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

 अधिनियम की धारा 72क और धारा 72कक में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि यदि कोई मामूली हानि पूर्वाधिकारी के लिए एक संचित हानि बन जाती है तो, उसे मूल पूर्वाधिकारी को हुई उस प्रथम हानि की संगणन के वर्ष से तत्काल आठ उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।

14. अध्याय XIV-ख के अंतर्गत तलाशी और अधिग्रहण मामलों में ब्लॉक निर्धारण प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन

• यह प्रस्तावित है कि ब्लॉक अविध की अप्रकटीकृत आय की उक्त परिभाषा के पद में "वर्चुअल डिजिटल आस्ति" जोड़ा जाए। ब्लॉक निर्धारण को पूरा करने की समय-सीमा को उस तिमाही के अन्त से बारह माह किया जाए जिससे तलाशी अथवा अधिग्रहण के अंतिम प्राधिकार की मांग की गई हो।

आशीष वच्छानी, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2025

F. No. 2(3)-B(D)/2025.—The following is published for general information.—

Budget 2025-2026

Speech of

Nirmala Sitharaman

Minister of Finance

February 1, 2025

Hon'ble Speaker,

I present the Budget for 2025-26.

Introduction

- 1. This Budget continues our Government's efforts to:
 - a) accelerate growth,
 - b) secure inclusive development,
 - c) invigorate private sector investments,

- d) uplift household sentiments, and
- e) enhance spending power of India's rising middle class.
- 2. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi.
- 3. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Viksit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our Government's first two terms guides us, to march forward resolutely.

Budget Theme

- 4. Our economy is the fastest-growing among all major global economies. Our development track record of the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next five years as a unique opportunity to realize 'Sabka Vikas', stimulating balanced growth of all regions.
- 5. The great Telugu poet and playwright Gurajada Appa Rao had said, 'Desamante Matti Kaadoi, Desamante Manushuloi'; meaning, 'A country is not just its soil, a country is its people.' In line with this, for us, Viksit Bharat, encompasses:
 - a) zero-poverty;
 - b) hundred per cent good quality school education;
 - c) access to high-quality, affordable, and comprehensive healthcare;
 - d) hundred per cent skilled labour with meaningful employment;
 - e) seventy per cent women in economic activities; and
 - f) farmers making our country the 'food basket of the world'.
- **6.** In this Budget, the proposed development measures span ten broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari.
 - 1) Spurring Agricultural Growth and Productivity;
 - 2) Building Rural Prosperity and Resilience;
 - 3) Taking Everyone Together on an Inclusive Growth path;
 - 4) Boosting Manufacturing and Furthering Make in India;
 - 5) Supporting MSMEs;
 - 6) Enabling Employment-led Development;
 - 7) Investing in people, economy and innovation;
 - 8) Securing Energy Supplies;
 - 9) Promoting Exports; and
 - 10) Nurturing Innovation.
- **7.** For this journey of development,
 - a) Our four powerful engines are: Agriculture, MSME, Investment, and Exports

- b) The fuel: our Reforms
- c) Our guiding spirit: Inclusivity
- d) And the destination: Viksit Bharat
- **8.** This Budget aims to initiate transformative reforms across six domains. During the next five years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are:
 - 1) Taxation;
 - 2) Power Sector:
 - 3) Urban Development;
 - 4) Mining;
 - 5) Financial Sector; and
 - 6) Regulatory Reforms.

Agriculture as the 1st Engine

9. Now I move to specific proposals, beginning with 'Agriculture as the 1st Engine'.

Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana - Developing Agri Districts Programme

Motivated by the success of the Aspirational Districts Programme, our Government will undertake a 'Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana' in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the programme will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity and below-average credit parameters. It aims to (1) enhance agricultural productivity, (2) adopt crop diversification and sustainable agriculture practices, (3) augment post-harvest storage at the panchayat and block level, (4) improve irrigation facilities, and (5) facilitate availability of long-term and short-term credit. This programme is likely to help 1.7 crore farmers.

Building Rural Prosperity and Resilience

- 11. A comprehensive multi-sectoral 'Rural Prosperity and Resilience' programme will be launched in partnership with states. This will address under-employment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option, but not a necessity.
- 12. The programme will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. Details are in Annexure A.
- **13.** Global and domestic best practices will be incorporated and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In Phase-1, 100 developing agri-districts will be covered.

Aatmanirbharta in Pulses

- 14. Our Government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving atmanirbhrata in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more.
- 15. Ten years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50 per cent and Government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly.

16. Our Government will now launch a 6-year "Mission for Aatmanirbharta in Pulses" with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies (NAFED and NCCF) will be ready to procure these 3 pulses, as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements.

Comprehensive Programme for Vegetables & Fruits

17. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits and shree-anna is increasing significantly. A comprehensive programme to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up.

Makhana Board in Bihar

18. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The Board will provide handholding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant Government schemes.

National Mission on High Yielding Seeds

19. A National Mission on High Yielding Seeds will be launched, aimed at (1) strengthening the research ecosystem, (2) targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance and climate resilience, and (3) commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024.

Fisheries

20. India ranks second-largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at ₹ 60 thousand crore. To unlock the untapped potential of the marine sector, our Government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and High Seas, with a special focus on the Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands.

Mission for Cotton Productivity

21. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a 'Mission for Cotton Productivity'. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming, and promote extra-long staple cotton varieties. The best of science & technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers, and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector.

Enhanced Credit through KCC

22. Kisan Credit Cards (KCC) facilitate short term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme will be enhanced from ₹ 3 lakh to 5 lakh for loans taken through the KCC.

Urea Plant in Assam

23. For Atmanirbharta in urea production, our Government had reopened three dormant urea plants in the Eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup, Assam.

India Post as a Catalyst for the Rural Economy

- **24.** India Post with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C.
- **25.** India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Viswakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and large business organizations.

Support to NCDC

26. Our Government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector.

MSMEs as the 2nd engine

27. Now, I move to MSMEs as the 2^{nd} engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crore.

Revision in classification criteria for MSMEs

28. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people, and generating 36 per cent of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45 per cent of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are in Annexure D.

Significant enhancement of credit availability with guarantee cover

- 29. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced:
 - For Micro and Small Enterprises, from ₹ 5 crore to 10 crore, leading to additional credit of ₹1.5 lakh crore
 in the next 5 years;
 - b) For Startups, from ₹ 10 crore to 20 crore, with the guarantee fee being moderated to 1 per cent for loans in 27 focus sectors important for Atmanirbhar Bharat; and
 - c) For well-run exporter MSMEs, for term loans up to ₹ 20 crore.

Credit Cards for Micro Enterprises

30. We will introduce customized Credit Cards with a ₹ 5 lakh limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued.

Fund of Funds for Startups

31. The Alternate Investment Funds (AIFs) for startups have received commitments of more than ₹ 91,000 crore. These are supported by the Fund of Funds set up with a Government contribution of ₹ 10,000 crore. Now, a new Fund of Funds, with expanded scope and a fresh contribution of another ₹ 10,000 crore will be set up.

Scheme for First-time Entrepreneurs

32. A new scheme will be launched for 5 lakh women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to ₹ 2 crore during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand-Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized.

Measures for Labour-Intensive Sectors

33. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labour-intensive sectors, our Government will undertake specific policy and facilitation measures.

Focus Product Scheme for Footwear & Leather Sectors

34. To enhance the productivity, quality and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate turnover of ₹ 4 lakh crore and exports of over ₹ 1.1 lakh crore.

Measures for the Toy Sector

35. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the 'Made in India' brand.

Support for Food Processing

36. In line with our commitment towards 'Purvodaya', we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire Eastern region. This will result in (1) enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and (2) skilling, entrepreneurship and employment opportunities for the youth.

Manufacturing Mission - Furthering "Make in India"

37. Our Government will set up a National Manufacturing Mission covering small, medium and large industries for furthering "Make in India" by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E.

Clean Tech Manufacturing

38. Given our commitment to climate-friendly development, the Mission will also support Clean Tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries.

Investment as the 3rd engine

39. Now, I move to Investment as the 3rd engine, which encompasses investing in people, investing in the economy and investing in innovation.

A. Investing in People

Saksham Anganwadi and Poshan 2.0

40. The Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 programme provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the north-east region. The cost norms for the nutritional support will be enhanced appropriately.

Atal Tinkering Labs

41. Fifty thousand Atal Tinkering Labs will be set up in Government schools in next 5 years to cultivate the spirit

of curiosity and innovation, and foster a scientific temper among young minds.

Broadband Connectivity to Government Secondary Schools and PHCs

42. Broadband connectivity will be provided to all Government secondary schools and primary health centres in rural areas under the Bharatnet project.

Bharatiya Bhasha Pustak Scheme

43. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak Scheme to provide digital-form Indian language books for school and higher education. This aims to help students understand their subjects better.

National Centres of Excellence for Skilling

44. Building on the initiative announced in the July 2024 Budget, five National Centres of Excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for "Make for India, Make for the World" manufacturing. The partnerships will cover curriculum design, training of trainers, a skills certification framework, and periodic reviews.

Expansion of Capacity in IITs

45. Total number of students in 23 IITs has increased 100 per cent from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT, Patna will also be expanded.

Centre of Excellence in AI for Education

46. I had announced three Centres of Excellence in Artificial Intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education will be set up with a total outlay of ₹ 500 crore.

Expansion of medical education

47. Our Government has added almost 1.1 lakh UG and PG medical education seats in ten years, an increase of 130 per cent. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals, towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years.

Day Care Cancer Centres in all District Hospitals

48. Our Government will facilitate setting up of Day Care Cancer Centres in all district hospitals in the next 3 years. 200 Centres will be established in 2025-26.

Strengthening urban livelihoods

49. Our Government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods and a better quality of life.

PM SVANidhi

50. PM SVANidhi scheme has benefitted more than 68 lakh street vendors giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI linked credit cards with ₹ 30,000 limit, and capacity building support.

Social Security Scheme for Welfare of Online Platform Workers

51. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new-age services economy. Recognising their contribution, our Government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig-workers.

B. Investing in the Economy

Public Private Partnership in Infrastructure

52. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the IIPDF (India Infrastructure Project Development Fund) scheme to prepare PPP proposals.

Support to States for Infrastructure

53. An outlay of ₹ 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms.

Asset Monetization Plan 2025-30

54. Building on the success of the first Asset Monetization Plan announced in 2021, the second Plan for 2025-30 will be launched to plough back capital of ₹ 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the Plan.

Jal Jeevan Mission

- 55. Since 2019, 15 crore households representing 80 per cent of India's rural population have been provided access to potable tap water connections. To achieve 100 per cent coverage, I am pleased to announce the extension of the Mission until 2028 with an enhanced total outlay.
- 56. The Mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through "Jan Bhagidhari". Separate MoUs will be signed with states/UTs, to ensure sustainability and citizen-centric water service delivery.

Urban Sector Reforms

57. Building on the July Budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land, and planning will be incentivized.

Urban Challenge Fund

- **58.** The Government will set up an Urban Challenge Fund of ₹ 1 lakh crore to implement the proposals for 'Cities as Growth Hubs', 'Creative Redevelopment of Cities' and 'Water and Sanitation' announced in the July Budget.
- **59.** This fund will finance up to 25 per cent of the cost of bankable projects with a stipulation that at least 50 per cent of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of ₹ 10,000 crore is proposed for 2025-26.

Power Sector Reforms

60. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5 per cent of GSDP will be allowed to states, contingent on these reforms.

Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat

- **61.** Development of at least 100 GW of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up.
- **62.** A Nuclear Energy Mission for research & development of Small Modular Reactors (SMR) with an outlay of ₹ 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed SMRs will be operationalized by 2033.

Shipbuilding

- 63. The Shipbuilding Financial Assistance Policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include Credit Notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy.
- **64.** Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list (HML).
- **65.** Shipbuilding Clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem.

Maritime Development Fund

66. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of ₹ 25,000 crore will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49 per cent contribution by the Government, and the balance will be mobilized from ports and private sector.

UDAN - Regional Connectivity Scheme

67. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and North East region districts.

Greenfield Airport in Bihar

68. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the State. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna airport and a brownfield airport at Bihta.

Western Koshi Canal Project in Mithilanchal

69. Financial support will be provided for the Western Koshi Canal ERM Project benefitting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar.

Mining Sector Reforms

- **70.** Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institution of a State Mining Index.
- 71. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out.

SWAMIH Fund 2

72. Under the Special Window for Affordable and Mid-Income Housing (SWAMIH) fifty thousand dwelling units in stressed housing projects have been completed, and keys handed over to home-buyers. Another forty thousand units

will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments, while also paying rent for their current dwellings.

73. Building on this success, SWAMIH Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the Government, banks and private investors. This fund of ₹ 15,000 crore will aim for expeditious completion of another 1 lakh units.

PM Gati Shakti Data for Private Sector

74. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided.

Tourism for employment-led growth

- 75. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by states. Hotels in those destinations will be included in the infrastructure HML.
- **76.** The following measures will be taken for facilitating employment-led growth:
 - Organizing intensive skill-development programmes for our youth including in Institutes of Hospitality Management;
 - 2) Providing MUDRA loans for homestays;
 - 3) Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations;
 - 4) Providing performance-linked incentives to states for effective destination management including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts; and
 - 5) Introducing streamlined e-visa facilities along with visa-fee waivers for certain tourist groups.
- 77. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July Budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha.

Medical Tourism and Heal in India

78. Medical Tourism and Heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms.

C. Investing in Innovation

Research, Development and Innovation

79. To implement private sector driven Research, Development and Innovation initiative announced in the July Budget, I am now allocating ₹ 20,000 crore.

Deep Tech Fund of Funds

80. A Deep Tech Fund of Funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative.

PM Research Fellowship

81. In the next five years, under the PM Research Fellowship scheme, we will provide ten thousand fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support.

Gene Bank for Crops Germplasm

82. The 2nd Gene Bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources.

National Geospatial Mission

83. We will start a National Geospatial Mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this Mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects.

Gyan Bharatam Mission

- **84.** A Gyan Bharatam Mission for survey, documentation and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a National Digital Repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing.
- **85.** Now, I move to Exports as the 4th engine.

Exports as the 4th engine

Export Promotion Mission

86. We will set up an Export Promotion Mission, with sectoral and ministerial targets, driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.

BharatTradeNet

87. A digital public infrastructure, 'BharatTradeNet' (BTN) for international trade will be set-up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface Platform. The BTN will be aligned with international practices.

Support for integration with Global Supply Chains

- 88. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria.
- **89.** Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains.
- 90. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our Government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of the youth.

National Framework for GCC

91. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting Global Capability Centres in emerging tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building-byelaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry.

Warehousing facility for air cargo

92. Our Government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo including high value perishable horticulture produce. Cargo screening and customs protocols will be streamlined and made user-friendly.

Reforms as the Fuel

93. Now I move to 'Reforms as the Fuel', and detail specific reforms.

Tax Reforms

94. Over the past 10 years, our Government has implemented several reforms for convenience of tax payers, such as (1) faceless assessment, (2) tax payers charter, (3) faster returns, (4) almost 99 per cent returns being on self-assessment, and (5) Vivad se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to "trust first, scrutinize later". I also propose to introduce the new income-tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B.

Financial Sector Reforms and Development

FDI in Insurance Sector

95. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100 per cent. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified.

Expanding Services of India Post Payment Bank

96. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas.

Credit Enhancement Facility by NaBFID

97. NaBFID will set up a 'Partial Credit Enhancement Facility' for corporate bonds for infrastructure.

Grameen Credit Score

98. Public Sector Banks will develop 'Grameen Credit Score' framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas.

Pension Sector

99. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up.

KYC Simplification

100. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC process, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating.

Merger of Companies

101. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler.

Bilateral Investment Treaties

102. As proposed in the Interim Budget, we signed Bilateral Investment Treaties (BIT) with two countries in 2024. To encourage sustained foreign investment and in the spirit of 'first develop India', the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly.

Regulatory Reforms

103. In the last ten years in several aspects, including financial and non-financial, our Government has demonstrated a steadfast commitment to 'Ease of Doing Business'. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the twenty-first century, I propose four specific measures:

High Level Committee for Regulatory Reforms

104. A High-Level Committee for Regulatory Reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance 'ease of doing business', especially in matters of inspections and compliances. States will be encouraged to join in this endeavour.

Investment Friendliness Index of States

105. An Investment Friendliness Index of States will be launched in 2025 to further the spirit of competitive cooperative federalism.

FSDC Mechanism

106. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector.

Jan Vishwas Bill 2.0

107. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our Government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws.

Fiscal Policy

108. Now I move to fiscal policy matters.

Fiscal Consolidation

109. In the July Budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the Central Government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement.

Revised Estimates 2024-25

- 110. The Revised Estimate of the total receipts other than borrowings is ₹ 31.47 lakh crore, of which the net tax receipts are ₹ 25.57 lakh crore. The Revised Estimate of the total expenditure is ₹ 47.16 lakh crore, of which the capital expenditure is about ₹ 10.18 lakh crore.
- 111. The Revised Estimate of the fiscal deficit is 4.8 per cent of GDP.

Budget Estimates 2025-26

- 112. Coming to 2025-26, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at ₹ 34.96 lakh crore and ₹ 50.65 lakh crore respectively. The net tax receipts are estimated at ₹ 28.37 lakh crore.
- 113. The fiscal deficit is estimated to be 4.4 per cent of GDP.
- 114. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at ₹ 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at ₹ 14.82 lakh crore.

I will now move to Part B.

PART B

Indirect Taxes

115. My proposals relating to Customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade and provide relief to common people.

Rationalisation of Customs Tariff Structure for Industrial Goods

- 116. As a part of comprehensive review of Customs rate structure announced in July 2024 Budget, I propose to:
 - (i) remove seven tariff rates. This is over and above the seven tariff rates removed in 2023-24 budget. After this, there will be only eight remaining tariff rates including 'zero' rate.
 - (ii) apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence except on a few items, where such incidence will reduce marginally.
 - (iii) levy not more than one cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt Social Welfare Surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess.
- 117. I shall now take up sector specific proposals.

Relief on import of Drugs/Medicines

- 118. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases and other severe chronic diseases, I propose to add 36 lifesaving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from Basic Customs Duty (BCD). I also propose to add 6 lifesaving medicines to the list attracting concessional customs duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above.
- 119. Specified drugs and medicines under Patient Assistance Programmes run by pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programmes.

Support to Domestic Manufacturing and Value addition

Critical Minerals

120. In the July 2024 Budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, Lead, Zinc and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth.

Textiles

Electronic Goods

122. In line with our 'Make in India' policy, and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on Interactive Flat Panel Display (IFPD) from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on Open Cell and other components.

123. In 2023 -24 Budget, for the manufacture of Open Cells of LCD/LED TVs, I had reduced the BCD on parts of Open Cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such Open Cells, the BCD on these parts will now stand exempted.

Lithium Ion Battery

124. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing, and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion battery, both for mobile phones and electric vehicles.

Shipping Sector

125. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables or parts for the manufacture of ships for another ten years. I also propose the same dispensation for ship breaking to make it more competitive.

Telecommunication

126. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on Carrier Grade ethernet switches to make it at par with Non-Carrier Grade ethernet switches.

Export Promotion

Handicraft Goods

127. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from six months to one year, further extendable by another three months, if required. I also propose to add nine items to the list of duty-free inputs.

Leather sector

128. I propose to fully exempt BCD on Wet Blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners.

Marine products

129. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on Frozen Fish Paste (Surimi) for manufacture and export of its analogue products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysate for manufacture of fish and shrimp feeds.

Domestic MROs for Railway Goods

130. In July 2024 Budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs, from 6 months to one year and further extendable by one year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods.

Trade facilitation

Time limit for Provisional Assessment

131. Presently, the Customs Act, 1962 does not provide any time limit to finalize Provisional Assessments leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time-limit of two years, extendable by a year, for finalising the provisional assessment.

Voluntary Compliance

132. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivise voluntary

compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings.

Extended Time for End Use

133. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end-use of imported inputs in the relevant rules, from six months to one year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement.

Direct Taxes

I now come to my Direct tax proposals.

- 134. In Part A, I have briefly underlined Taxation Reforms as one of key reforms to realize our vision of Viksit Bharat. In respect of criminal law, Our Government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this August House and the country that the new income-tax bill will carry forward the same spirit of "Nyaya". The new bill will be clear and direct in text with close to half of the present law, in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administration, leading to tax certainty and reduced litigation.
- **135.** Reforms, however, are not a destination. They are a means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Thirukkural captures this in Verse 542, which reads:

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.

vaanokki vaalum ulakellaam mannavan

koalnokki vaalung kuti

Meaning:

Just as living beings live expecting rains,

Citizens live expecting good governance.

Our Government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse, and responding while balancing our nation-building efforts. The following measures will detail just how our Government under the guidance of PM Modi has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit.

- **136.** The objectives of my proposals are as follows:
 - (i) Personal Income Tax reforms with special focus on middle class
 - (ii) Rationalization of TDS/TCS for easing difficulties
 - (iii) Encouraging voluntary compliance
 - (iv) Reducing compliance burden
 - (v) Ease of doing business
 - (vi) Employment and investment

I will come to my proposal on personal income tax towards the end.

TDS/TCS rationalization for easing difficulties

- 137. I propose to rationalize Tax Deduction at Source (TDS) by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present ₹ 50,000 to ₹ 1 lakh. Similarly, the annual limit of ₹ 2.40 lakh for TDS on rent is being increased to ₹ 6 lakh. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefitting small tax payers receiving small payments.
- **138.** The threshold to collect tax at source (TCS) on remittances under RBI's Liberalized Remittance Scheme (LRS) is proposed to be increased from ₹ 7 lakh to ₹ 10 lakh. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittance is out of a loan taken from a specified financial institution.
- 139. Both TDS and TCS are being applied on any transaction relating to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases.
- **140.** In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well.

Encouraging Voluntary Compliance

141. The Government under the leadership of Prime Minister Modi believes in "Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas". In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time-limit to file updated returns for any assessment year, from the current limit of two years, to four years.

Reducing Compliance Burden

- 142. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts/institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults, such as incomplete applications filed by charitable entities.
- 143. Presently tax-payers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfilment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of two such self-occupied properties without any condition.

Ease of Doing Business

- **144.** To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of three years. This will be in line with global best practices.
- **145.** With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbour rules is being expanded.
- 146. A number of senior and very senior citizens have very old National Savings Scheme accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after the 29th of August, 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts, subject to overall limits.

- 147. In my speech in July 2024, I had promised that all processes including giving effect to appellate orders shall be digitalized and made paper-less over the next two years. I am happy to announce that digitalization is being made operational.
- 148. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas Scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 tax payers having availed of this scheme to settle their disputes.

Employment and Investment

149. I have a few proposals to promote investment and employment.

Tax certainty for electronics manufacturing Schemes

150. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbour for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units.

Tonnage Tax Scheme for Inland Vessels

151. Presently the tonnage tax scheme is available to only sea going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act, 2021 to promote inland water transport in the country.

Extension for incorporation of Start-Ups

152. We continue to support the Indian start-up eco-system. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to start-ups which are incorporated before 1.4.2030.

International Financial Services Centre (IFSC)

153. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am *inter alia* proposing specific benefits to ship-leasing units, insurance offices and treasury centres of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by five years to 31.3.2030.

Alternate Investment Funds (AIFs)

154. Category I and category II AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities.

Extension of investment date for Sovereign and Pension Funds

155. To promote funding from Sovereign Wealth Funds and Pension Funds to the infrastructure sector, I propose to extend the date of making an investment by five more years, to 31st March, 2030.

Personal Income- tax Reforms with special focus on middle class

156. Democracy, Demography and Demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This Government under the leadership of Prime Minister Modi has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the 'Nil tax' slab was raised to ₹ 2.5 lakh, which was further raised to ₹ 5 lakh in 2019 and to ₹ 7 lakh in 2023. This is reflective of our Government's trust on the middle-class tax payers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable upto income

- 157. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all tax-payers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment.
- **158.** In the new tax regime, I propose to revise tax rate structure as follows:

0-4 lakh rupees	Nil
4-8 lakh rupees	5 per cent
8-12 lakh rupees	10 per cent
12-16 lakh rupees	15 per cent
16-20 lakh rupees	20 per cent
20- 24 lakh rupees	25 per cent
Above 24 lakh rupees	30 per cent

- 159. To tax payers upto ₹ 12 lakh of normal income (other than special rate income such as capital gains) tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with examples. A tax payer in the new regime with an income of ₹12 lakh will get a benefit of ₹80,000 in tax (which is 100% of tax payable as per existing rates). A person having income of ₹18 lakh will get a benefit of ₹70,000 in tax (30% of tax payable as per existing rates). A person with an income of ₹25 lakh gets a benefit of ₹1,10,000 (25% of his tax payable as per existing rates).
- **160.** Details of my tax proposals are given in the Annexure.
- **161.** As a result of these proposals, revenue of about ₹ 1 lakh crore in direct taxes and ₹ 2600 crore in indirect taxes will be forgone.
- Mr. Speaker Sir, with this, I commend the budget to this august House.

Jai Hind.

Annexures to Part A

Annexure A

Building Rural Prosperity and Resilience

The programme will focus at:

- 1) catalyzing enterprise development, employment and financial independence for rural women;
- 2) accelerating creation of new employment and businesses for young farmers and rural youth;
- 3) nurturing and modernizing agriculture for productivity improvement and warehousing, especially for marginal and small farmers; and
- 4) diversifying opportunities for landless families.

Annexure B

Mission for Aatmanirbharta in Pulses

The Mission will place emphasis on:

- 1) development and commercial availability of climate resilient seeds,
- 2) enhancing protein content,
- 3) increasing productivity,
- 4) improving post-harvest storage and management, and
- 5) assuring remunerative prices to the farmers.

Annexure C

India Post as a Catalyst for the Rural Economy

The expanded range of services will include:

- 1) rural community hub colocation;
- 2) institutional account services;
- 3) DBT, cash out and EMI pick-up;
- 4) credit services to micro enterprises;
- 5) insurance; and
- 6) assisted digital services.

Annexure D

Rs. in Crore	Inves	tment	Turnover		
	Current	Revised	Current	Revised	
Micro Enterprises	1	2.5	5	10	
Small Enterprises	10	25	50	100	
Medium Enterprises	50	125	250	500	

Annexure E

Manufacturing Mission - Furthering "Make in India

The Mission's mandate will include 5 focus areas:

- 1) ease and cost of doing business;
- 2) future ready workforce for in-demand jobs;
- 3) a vibrant and dynamic MSME sector;
- 4) availability of technology; and
- 5) quality products.

Annexure to Part B

Amendments relating to Indirect Taxes

A. LEGISLATIVE CHANGES IN CUSTOMS LAWS

A.1 Amendments in the Customs Act, 1962

- (i) A new sub-section (1B) is being inserted in Section 18 to provide time limit of two years for finalization of provisional assessment. It also provides that this time limit may be extended by the Commissioner of Customs for a further period of one year if sufficient cause is shown. It further provides that, for the pending cases, the time-limit shall be computed from the date of assent of the Finance Bill, 2025.
- (ii) A new sub-section (1C) is being inserted to provide for certain grounds on which the time-limit of two years for finalizing provisional assessment shall remain suspended.
- (iii) A new section 18A is being inserted for voluntary revision of entry after clearance of goods to allow importers and exporters to revise any entry made in relation to the goods within a prescribed time and subject to conditions as may be prescribed. It also provides for treating such revised entry as self-assessment and allow payment of duty or treat the revised entry as a refund claim under section 27. It further provides for certain cases where this section will not apply.
- (iv) A new Explanation is being inserted in sub-section 1 of section 27 to clarify that the period of limitation for claim of refund consequent to the revised entry under section 18A or amendment under Section 149 of the Customs Act, 1962, shall be one year from the date of payment of duty or interest.
- (v) A new clause is being inserted in Explanation 1 to Section 28 to provide that the relevant date in the case of payment of duty as per the revised entry under section 18A is the date of payment of duty or interest.
- (vi) A new clause is being inserted after clause (d) and (e) of section 127A to define Interim Board, Member of the Interim Board and pending applications.
- (vii) A new sub-section (6) is being inserted after sub-section (5) in section 127B to provide end date for receipt of applications under this section.

- (viii) A new sub-section (12) is being inserted after sub-section (11) in section 127C to make applicable the sub-sections of Section 127C of the Customs Act, 1962 to the Interim Board.
- (ix) A new sub-section (3) is being inserted after sub-section (2) in section 127D clarifying that the powers of Settlement Commission shall be exercised by the Interim Board and the provisions of this section shall, mutatis mutandis, apply to the Interim Board as they apply to the Settlement Commission.
- (x) A new sub-section (5) is being inserted after sub-section (4) of section 127F providing that the powers and functions of Settlement Commission shall be exercised or performed by the Interim Board.
- (xi) A Proviso to section 127G of the Customs Act, 1962 is being inserted to provide that the powers and functions of Settlement Commission under this section shall be exercised or performed by the Interim Board.
- (xii) A new sub-section (4) is being inserted after sub-section (3) in section 127H of the Customs Act, 1962 to provide that the powers and functions of Settlement Commission under this section shall be exercised or performed by the Interim Board.

These changes shall come into effect from date of assent to the Finance Bill, 2025

A.2 Amendments in the Customs Tariff Act, 1975

- a) The First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 is being amended to, -
 - (i) revise tariff rates on certain industrial tariff items
 - (ii) add 178 new tariff entries in chapter 10, 20, 27, 28, 29, 38 and 71 and substitute/delete 63 tariff entries; insert supplementary notes in chapter 10, 20, 29 and 38 and amend 2 supplementary notes. This is to align the tariff lines with WCO classification and better identification of goods.

These changes shall come into effect from 1.5.2025.

B. LEGISLATIVE CHANGES IN GST LAWS

[Save as otherwise provided, these changes will be brought into effect from a date to be notified in coordination with States, as per recommendations of the GST council]

AMENDMENT FOR TRADE FACILITATION

B.1 Amendments in section 2 of the CGST Act, 2017:

- a) Clause (61) is being amended to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-state supplies on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of Integrated Goods and Services Tax Act. This amendment will be effective from 1st April, 2025.
- b) Clause (69) (c) is being amended to insert an Explanation to provide for definitions of the terms 'Local Fund' and 'Municipal Fund' used in the definition of "local authority" under the said clause so as to clarify the scope of the said terms.
- A new clause (112A) is being inserted to provide definition of Unique Identification Marking for implementation of Track and Trace Mechanism

B.2 Amendments in Section 12 and 13 of the CGST Act, 2017

Sub-section (4) of Section 12 and Sub-section (4) of Section 13 relating to time of supply in respect of vouchers are being omitted.

B.3 Amendments in Section 17 of the CGST Act, 2017

Clause (d) of sub-section (5) is being amended to substitute the words "plant or machinery" with the words "plant and machinery" with effect from 1st July, 2017.

B.4 Amendments in Section 20 of the CGST Act, 2017

Section 20(1) and Section 20(2) are being amended to explicitly provide for distribution of input tax credit by the Input Service Distributor in respect of inter-state supplies, on which tax has to be paid on reverse charge basis, by inserting reference to sub-section (3) and sub-section (4) of section 5 of Integrated Goods and Services Tax Act in sub-section (1) of section 20. The amendment will be effective from 1st April, 2025.

B.5 Amendments in Section 34 of the CGST Act, 2017

The Proviso to sub-section (2) is being amended to explicitly provide for requirement of reversal of corresponding input tax credit in respect of a credit-note, if availed, by the registered recipient, for the purpose of reduction of tax liability of the supplier in respect of the said credit note.

B.6 Amendments in Section 38 of the CGST Act, 2017

- a) Section 38(1) is being amended to omit the expression "auto-generated".
- b) Section 38(2) is being amended to omit the expression "auto-generated" and to insert the expression "including" after the words "by the recipient" in clause (b) to make the said clause more inclusive.
- c) Section 38(2) is also being amended to insert a new clause (c) to provide an enabling clause to prescribe other details to be made available in statement of input tax credit.

B.7 Amendments in Section 39 of the CGST Act, 2017

Section 39(1) is being amended to provide an enabling clause to prescribe certain conditions and restriction for filing of return.

B.8. Amendments in Section 107 and 112 of the CGST Act, 2017

- a) Section 107(6) is being amended to provide for 10% mandatory pre-deposit of penalty amount for appeals before Appellate Authority in cases involving only demand of penalty without any demand for tax.
- b) Section 112(8) is amended to provide for 10% mandatory pre-deposit of penalty amount for appeals before Appellate Tribunal in cases involving only demand of penalty without any demand for tax.

B.9 Insertion of a new section 122B of the CGST Act, 2017

A new Section 122B is being inserted to provide penalties for contraventions of provisions related to the Track and Trace Mechanism provided under section 148A.

B.10 Insertion of a new section 148A of the CGST Act, 2017

Section 148A is being inserted to provide for enabling mechanism for a Track and Trace Mechanism for specified commodities.

B.11 Amendments in Schedule III of the CGST Act,2017

Schedule III is being amended, w.e.f. 01.7.2017 to,-

- a) insert a new Entry (aa) in paragraph 8 to provide that the supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services.
- b) Amend Explanation 2, w.e.f. 01.07.2017 to clarify that the said explanation would be applicable in respect of entry (a) of paragraph 8.
- c) Insert Explanation 3 to define the terms 'Special Economic Zone', 'Free Trade Warehousing Zone' and 'Domestic Tariff Area', for the purpose of the proposed entry (aa) in paragraph 8.
- d) To provide that no refund of tax already paid will be available for the transactions referred above.

C. OTHER PROVISIONS IN THE FINANCE BILL

C.1 Special Provision for Exemption from Service Tax in Certain Cases:

Services provided or agreed to be provided by insurance companies by way of reinsurance services under the Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) and the Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS), are being exempted from service tax for the period commencing from 1st April, 2011 and ending with 30th June, 2017.

D. CUSTOMS DUTY RATE CHANGES

D.1. Reduction in customs duty to reduce input costs, deepen value addition, promote export competitiveness, correct inverted duty structure, boost domestic manufacturing etc [with effect from 2.2.2025]

G M	G	From	То
S. No.	Commodity	(per cent)	(per cent)
I.	Aquafarming & Marine exports		L
1.	Frozen fish paste (surimi) for manufacture of surimi analogue products for export	30	5
2.	Fish hydrolysate for manufacture of aquatic feed	15	5
II.	Chemicals		
1.	Other compounds containing a pyrimidine ring (whether or not hydrogenated) or piperazine ring in the structure classified under tariff sub heading 2933 59	10	7.5
2.	Synthetic flavouring essences and mixtures of odoriferous substances of a kind used in food or drink industries classified under tariff sub heading 3302 10	100	20
3.	Sorbitol classified under tariff subheading 3824 60	30	20
III.	Waste and Scrap of Critical Minerals and	others	
1.	Waste and scrap of Antimony, Beryllium, Bismuth, Cobalt, Cadmium, Molybdenum, Rhenium, Tantalum, Tin, Tungsten, Zirconium, Copper scrap covered under tariff items 74040012, 74040019 and 74040022	10/5/2.5	Nil
2.	Waste and scrap of Lithium-Ion Battery	5	Nil
3.	Cobalt powder	5	Nil
4.	Waste and scrap of Lead	5	Nil
5.	Waste and scrap Zinc	5	Nil
IV.	Drugs and Medicines		
1.	Addition of 6 more medicines in List 3 and bulk drugs for their manufacture	As applicable	5
2.	Addition of 36 more medicines in List 4 and bulk drugs for their manufacture	As applicable	Nil
3.	Addition of 37 more medicines and 13 Patient Assistance Programmes in the list of duty free imports by pharmaceutical companies for supply free of cost to patients	As applicable	Nil

~		From	То			
S. No.	Commodity	(per cent)	(per cent)			
V.	Precious Metals	I				
1.	Platinum findings	25	6.4			
			(5 BCD + 1.4 AIDC)			
VI.	Textile, Handicraft and Leather Sector	1				
1.	Wet blue leather	10	Nil			
2.	Shuttle less loom Rapier Looms (below 650 meters per minute) and Shuttle less loom Air jet Looms (below 1000 meters per minute) for use in textile industry	7.5	Nil			
3.	Certain additional items for duty free import by bonafide exporters for manufacture of handicrafts	As applicable	Nil			
VII.	Capital Goods					
1.	Addition of 35 capital goods/machinery for use in the manufacture of lithium-ion battery of EVs and 28 capital goods/machinery for use in the manufacture of lithium-ion battery of mobile phones	As applicable	Nil			
VIII.	IT a	and Electronics				
1.	Inputs/ parts and sub-parts of PCBA, camera module, connectors and inputs or raw materials for use in manufacture of wired headset, microphone and receiver, USB cable, fingerprint reader/ sensor of cellular mobile phone	2.5	Nil			
2.	Specified inputs/parts (chip on film, PCBA, glass board / substrate cell) for use in manufacture of open cells of TV panels of LED/LCD TV	2.5	Nil			
3.	Ethernet Switches Carrier-Grade	20	10			
4.	Open cell (with or without touch) for interactive Flat Panel Display module, Touch Glass sheet and Touch Sensor PCB for use in manufacture of Interactive Flat Panel Display module	15/10	5			
IX.	Space Sector					
1.	Ground installation for satellites including its spares and consumables	As applicable	Nil			
2.	Goods used in the building of launch vehicles	5	Nil			

C No	Com	ommodite.	From	То		
S. No.	Commodity		(per cent)	(per cent)		
X.	Motorcycles					
1.	(i)	Engine capacity not exceeding 1600	50	40		
		CC (CBU)	25	20		
	(ii)	Semi-knocked down (SKD)	15	10		
	(iii)	Completely knocked down (CKD)				
2	(i)	Engine capacity 1600 CC & above	50	30		
	(CBU)	25	20			
	(ii)	Semi-knocked down (SKD)	15	10		
	(iii)	Completely knocked down (CKD)				

D.2. Increase in Customs duty [with effect from 02.02.2025]

S. No.	Commodity	Rate of duties		
		From	То	
		(per cent)	(per cent)	
I.	Textiles			
1.	Knitted Fabrics covered under tariff items 6004 10 00, 6004 90 00, 6006 22 00, 6006 31 00, 6006 32 00, 6006 33 00, 6006 34 00, 6006 42 00 and 6006 90 00	10/20	20 or Rs 115 per kg, whichever is higher	
II	Electronics			
1	Interactive Flat Panel Display classified under tariff item 8528 59 00 (CBU)	10	20	

D.3. Decrease in Tariff rate with no change in Effective rate [With effect from 02.02.2025]

S. No.	Commodity		Rate of duties
		From	To
		(per cent)	(per cent)
1.	Glycerol crude, glycerol waters, glycerol lye covered by tariff item 1520 00 00	30	20
2.	Phosphoric Acid	20	7.5
3.	Other – Prepared Binders, chemical products and preparations of chemical or allied industries covered under tariff item 3824 99 00	17.5	7.5
4.	Marble and travertine, granite, crude or roughly trimmed, merely cut into blocks, slabs and other (tariff sub heading 2515 12 and tariff items, 2525 11 00, 2516 11 00, 2516 12 00)	40	20 (+20 AIDC)
5.	Candles, tapers and the like covered by tariff heading 3406	25 (+2.5 SWS)	20 (+7.5 AIDC)
6.	Other reference materials	30	10

7.	PVC flex films including PVC flex banner and	25	20
	PVC flex sheets (tariff headings 3920, 3921)	(+2.5 SWS)	(+7.5 AIDC)
8.	Footwear covered under tariff headings 6401 to	35	20
	6405	(+3.5 SWS)	(+18.5 AIDC)
9.	Worked monumental or building stone and articles thereof under heading 6802 except 6802 99 00	40	20
10	Marble slabs classified under tariff items 6802 10 00, 6802 21 10, 6802 21 20, 6802 21 90, 6802 91 00 and 6802 92 00	40	20 (+20 AIDC)
11.	OTS/MR type-flat rolled products of thickness less than 0.5 mm	27.5	15
12.	Other plates, sheets, strips of thickness less than 0.5mm	27.5	15
13.	Flat -rolled products in coils of thickness greater than or equal to 4.75 mm but not exceeding 10mm	22.5	15
14.	Flat-rolled products in coils of thickness greater than or equal to 3 mm but less than 4.75 mm	22.5	15
15.	Flat-rolled products of stainless steel of width 600mm or more- Other nickel chrome austenitic type	22.5	15
16.	Flat-rolled products of stainless steel of width 600mm or more- Other sheets and plates	22.5	15
17.	Flat-rolled products of other alloy steel grain oriented	20	15
18.	Other tubes or pipe fittings of stainless steel	25	15
19.	Other fittings of iron or steel, non-galvanised	25	15
20.	Other structure and parts of structures of iron and steel	25	15
21.	Others-tanks and drums etc.	25	15
22.	Other screws and bolts w/n with nuts	25	15
23.	Threaded nuts	25	15
24.	Other non-threaded articles	25	15
25.	Others springs and leaves of iron/steel	25	15
26.	Other cast articles of iron or steel	25	15
27.	Articles of forged or stamped but not further worked	25	15
28.	All other articles of iron/steel	25	15
29.	Solar cells covered by tariff heading 8541	25	20
		(+2.5 SWS)	(+7.5 AIDC)
_			

30.	Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, including station wagons and racing cars, under tariff heading 8703 >USD 40000	125 (tariff rate) 100 BCD + 10 SWS (effective rate)	70 (tariff rate) 70+ 40 AIDC (effective rate)
31.	Used Motor cars and other motor vehicles principally designed for the transport of persons, including station wagons and racing cars, under tariff heading 8703	125 (tariff) 125 BCD + 12.5 SWS (effective rate)	70 (tariff) 70+ 67.5 AIDC (effective rate)
32.	Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars under tariff heading 8711	100 (tariff) (No change in effective rate)	70(tariff) (No change in effective rate)
33.	Used Motorcycles (including mopeds) and cycles fitted with an auxiliary motor, with or without side-cars under tariff heading 8711	100 (tariff) 100 BCD +10 SWS (effective rate)	70 (tariff) 70+ 40 AIDC (effective rate)
34.	Bicycles under tariff item 8712 00 10	35	20 (+15 AIDC)
35.	Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and canoes covered under tariff heading 8903	25 (+2.5 SWS)	20 (+7.5 AIDC)
36	Electricity meters for alternating current (Smart Meters) under tariff item 9028 30 10	25 (+2.5 SWS)	20 (+7.5 AIDC)
37	Parts of electronic toys, under tariff item 9503 00 91 for manufacture of electronic toys	25 BCD + 2.5 SWS	20 BCD+ 7.5 AIDC

D.4. Decrease in Tariff rate with reduction in effective rate [With effect from 02.02.2025]

		Rate of duties		
	Commodity	From	То	
		(per cent)	(per cent)	
1.	Synthetic flavouring essences and mixtures of odoriferous substances for use in food and drink industry	100	20 (+2 SWS)	
2.	Sorbitol under tariff sub-heading 3824 60	30 (+3 SWS)	20 (+2 SWS)	
3.	Articles of jewellery and parts thereof under tariff heading 7113; articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof under tariff heading 7114	25	20	
4.	Solar module under tariff heading 8541	40	20	

		Rate of duties		
	Commodity	From	То	
		(per cent)	(per cent)	
		(+4 SWS)	(+20 AIDC)	
5.	Motor vehicles (for passenger)	40	20	
	covered under tariff heading 8702	(+4 SWS)	(+20 AIDC)	
6.	Motor vehicles (for goods) covered	40	20	
	under tariff heading 8704	(+4 SWS)	(+20 AIDC)	
7.	Seats (other than those of heading	25	20	
	9402), whether or not convertible into beds, and parts thereof, covered under tariff heading 9401	(+2.5 SWS)	(+5 AIDC)	
8.	Other furniture and parts thereof	25	20	
	covered under tariff heading 9403	(+2.5 SWS)	(+5 AIDC)	
9.	Mattress supports, articles of bedding	25	20	
	and similar furnishing etc covered under tariff heading 9405	(+2.5 SWS)	(+5 AIDC)	
10.	Luminaries and light fittings	25	20	
	including searchlights and spotlights and parts thereof etc	(+2.5 SWS)	(+5 AIDC)	
11.	Parts of electronic toys, under tariff	70	20	
	item 9503 00 91		(+20 AIDC)	
12.	Laboratory chemicals under tariff	150	70	
	item 9802 00 00 (other than those attracting 10% BCD on specified end use)	(+ 15 SWS)	(+ 70 AIDC)	
13.	All dutiable articles, imported by a passenger or a member of a crew in his baggage, under tariff heading	100 (tariff rate)	70 (tariff rate)	
	9803	35+ 3.5 SWS	35	
		(effective rate)	(effective rate)	
14.	Dutiable goods imported for personal	35	20	
	use classified under heading 9804 other than those at 10% BCD	(+ 3.5 SWS)		

E. Export duty on Leather [with effect from 2.2.2025]

	Commodity	Rate of duties		
S. No.		From	To	
		(per cent)	(per cent)	
1	Crust Leather (hides and skins)	20	0	

F. Trade Facilitation Measures

F.1. Increase in duration for export of handicrafts

The duration for export of handicrafts manufactured from duty free inputs by bonafide exporters is being increased from 6 months to 1 year, further extendable by 3 months.

F.2. Removal of Customs (Import of Goods at Concessional rate of duty or For Specific End Use) Rules 2022 (IGCR) condition for import of seeds for use in manufacture of Lab Grown Diamonds

The IGCR condition for custom duty exemption on import of seeds for use in manufacture of rough Lab Grown Diamond is being removed.

F.3. Extension of time limit for export

The time limit for export of foreign origin goods imported for repairs is being extended from 6 months to one year further extendable by one year for railway goods.

F.4. Amendment of Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty or For Specified End Use) Rules, 2022

Rules 6 and 7 are being amended to increase the time limit for fulfilling end use from current six months to one year and to file only a quarterly statement instead of monthly statement.

Note: AIDC – Agriculture Infrastructure and Development Cess; SWS – Social Welfare Surcharge

G. OTHERS

There are few other changes of minor nature. For details of the budget proposals, the Explanatory Memorandum and other relevant budget documents may be referred to.

Annexure to Part B Amendments relating to Direct Taxes

(i) Personal Income-tax reforms with special focus on middle class

1. Substantial relief is proposed under the new tax regime with new slabs and tax rates as under: -

Total income	Rate of tax
Upto ₹ 4,00,000	Nil
From ₹ 4,00,001 to ₹ 8,00,000	5 per cent
From ₹ 8,00,001 to ₹ 12,00,000	10 per cent
From ₹ 12,00,001 to ₹ 16,00,000	15 per cent
From ₹ 16,00,001 to ₹ 20,00,000	20 per cent
From ₹ 20,00,001 to ₹ 24,00,000	25 per cent
Above ₹ 24,00,000	30 per cent

2. Rebate on income-tax

- Resident individual with total income up to ₹ 7,00,000 do not pay any tax due to rebate under the new tax regime. It is proposed to increase the rebate for the resident individual under the new regime so that they do not pay tax if their total income is up to ₹ 12,00,000. Marginal relief as provided earlier under the new tax regime is also applicable for income marginally higher than ₹ 12,00,000.
- A few examples for calculation of tax benefit are given in the table below:

Income		x on and rates	Benefit of	Rebate benefit	Total Benefit	Tax after rebate Benefit
	Present	Proposed	Rate /Slab	Full upto Rs 12 lacs		
8 lac	30,000	20,000	10,000	20,000	30,000	0
9 lac	40,000	30,000	10,000	30,000	40,000	0
10 lac	50,000	40,000	10,000	40,000	50,000	0
11 lac	65,000	50,000	15,000	50,000	65,000	0
12 lac	80,000	60,000	20,000	60,000	80,000	0
16 lac	1,70,000	1,20,000	50,000	0	50,000	1,20,000
20 lac	2,90,000	2,00,000	90,000	0	90,000	2,00,000
24 lac	4,10,000	3,00,000	1,10,000	0	1,10,000	3,00,000
50 lac	11,90,000	10,80,000	1,10,000	0	1,10,000	10,80,000

(ii) Rationalization of TDS/TCS for easing difficulties

1. Rationalization tax deducted at source (TDS) and tax collected at source (TCS) rates:

• To reduce multiplicity of rates and compliance burden, it is proposed to bring down certain TDS and TCS rates in certain sections as below:

S. No	Section of the Act	Present TDS/TCS Rate	Proposed TDS/TCS Rate
1.	Section 194LBC - Income in respect of investment in securitization trust	25% if payee is Individual or HUF and 30% otherwise	10%
2.	Sub-section (1) of section 206C (i) TCS on timber or any other forest produce (not being tendu	2.5%	2%

	leaves) obtained under a forest lease and (ii) TCS on timber obtained by any mode other than under a forest lease			
3.	Sub-section (1G) of section 206C – TCS on remittance under LRS for purpose of education, financed by loan from financial institution	0.5% after ₹ 7 lakhs	Nil	

• It is further proposed to increase certain thresholds for requirement to deduct tax at source or collect tax at source under certain sections, as below:

S.No	Section of the Act	Present TDS /TCS Threshold (Rs)	Proposed TDS /TCS Threshold (Rs)
1.	193 - Interest on securities	Nil	10,000/-
2.	194A - Interest other than Interest on securities	(i) 50,000/- for senior citizen; (ii) 40,000/- in case of others when payer is bank, cooperative society and post office (iii) 5,000/- in other cases	(i) 1,00,000/- for senior citizen (ii) 50,000/- in case of others when payer is bank, cooperative society and post office (iii) 10,000/- in other cases
3.	194 – Dividend, for an individual shareholder	5,000/-	10,000/-
4.	194K - Income in respect of units of a mutual fund or specified company or undertaking	5,000/-	10,000/-
5.6.	194B - Winnings from lottery, crossword puzzle etc. 194BB - Winnings	Aggregate of amounts exceeding 10,000/- during the financial year	10,000/- in respect of a single transaction
7.	from horse race 194D - Insurance commission	15,000/-	20,000/-
8.	194G - Income by way of commission, prize etc. on lottery tickets	15,000/-	20,000/-
9.	194H - Commission or brokerage	15,000/-	20,000/-
10.		2,40,000/- during the financial year	50,000/- per month or part of a month
11.	194J - Fee for professional or technical services	30,000/-	50,000/-
12.	194LA - Income by way of enhanced compensation	2,50,000/-	5,00,000/-

13. 206C(1G) – Remittance under LRS and overseas tour program package	7,00,000/-	10,00,000/-	
---	------------	-------------	--

(iii) Encouraging voluntary compliance

1. Extending the time-limit to file the updated return:

• It is proposed to extend the time-limit to file the updated return from the existing 24 months to 48 months from the end of the relevant assessment year. The additional tax payable shall be 60% of the aggregate of tax and interest payable on additional income for filing updated return during the period of 24 months to 36 months from the end of relevant assessment year. Additional tax payable shall be 70% of the aggregate of tax and interest payable for filing updated return during the period of 36 months to 48 months from the end of relevant assessment year subject to certain conditions.

2. Obligation to furnish information in respect of crypto-asset:

• It is proposed to bring amendment in the Act to provide for that a prescribed reporting entity in respect of a crypto-asset shall furnish information in respect of a transaction in such crypto asset, in a statement as prescribed. It is also proposed to align the definition of virtual digital asset accordingly.

3. Annual value of the self-occupied property simplified:

It is proposed to provide that the annual value of the property consisting of a house or any part thereof
shall be taken as nil, if the owner occupies it for his own residence or cannot actually occupy it due to
any reason.

(iv) Reducing compliance burden

1. Reduction in compliance burden by omission of TCS on sale of specified goods:

• To reduce compliance burden of the taxpayers, it is proposed to no tax will be collected at source on sale of specified goods of value of more than fifty lakhs.

2. Removal of higher TDS/TCS for non-filers of return of income:

 To reduce compliance burden on the deductor/collector, it is proposed to omit section 206AB and section 206CCA of the Act.

3. Definition of "forest produce" rationalized:

- It is proposed to clarify the meaning of "forest produce" u/s 206C(1) of the Act to remove any ambiguity regarding definition of the same.
- It is also proposed that TCS be collected only on "any other forest produce which is obtained under a forest lease."

(v) Ease of doing business

1. Extension of time limit u/s 80-IAC for startups:

• It is proposed to extend the benefit provided under Section 80-IAC to startups for another period of five years, i.e. the benefit will be available to eligible start-ups incorporated before 01.04.2030.

2. Parity in rates of long term capital gain on transfer of securities by non-resident:

• It is proposed to bring parity between the taxation of capital gains on transfer of capital assets between residents and non-residents being Foreign Institutional investors, on their income by way of long-term capital gains on transfer of securities.

3. Simplification of tax provisions for charitable trusts/institutions:

- It is proposed to increase the period of validity of registration of trust or institution from 5 years to 10 years for smaller trusts or institutions.
- It is proposed to rationalize the definition of specified violation for cancellation of registration of trust or institution so as to not apply the same for minor default such as in-complete applications.
- It is also proposed to rationalize the definition of persons making substantial contribution to a trust or institution for denial of exemption.

4. Rationalization in taxation of business trusts:

• It is proposed to provide that the total income of a business trust which is charged to tax at the maximum marginal rate, shall be subject to the provisions of section 112A of the Act as well, as it is subject to provisions of section 111A and section 112 of the Act.

5. Harmonization of Significant Economic Presence applicability with business connection:

It is proposed to provide that significant economic presence of a non-resident in India shall not include
the transactions or activities which are confined to the purchase of goods in India for the purpose of
export.

6. Bringing clarity in income on redemption of Unit Linked Insurance Policy:

• It is proposed to clarify that the profit and gains from the redemption of unit linked insurance policies to which exemption under section 10(10D) does not apply, shall be charged to tax as capital gains.

7. Amendment of definition of 'capital asset':

• In order to bring clarity on the chargeability of income arising out of transfer of capital asset being securities held by an investment fund as referred to in section 115UB of the Act, the definition of capital asset is proposed to be amended.

8. Rationalization of transfer pricing provisions for carrying out multi-year arm's length price determination

• It is proposed to provide that the transfer pricing provisions for arm's length price determination in relation to similar transactions shall now be applicable for a period of 3 years.

9. Exemption from prosecution for delayed payment of TCS:

• It is proposed to provide for exemption from prosecution to a person who has failed to pay tax collected at source (TCS) to the credit of the Central Government, if such payment is made at any time on or before the time prescribed for filing the quarterly TCS statement.

10. Amendment of definition of 'capital asset':

• In order to bring clarity on the chargeability of income arising out of transfer of capital asset being securities held by an investment fund as referred to in section 115UB of the Act, the definition of capital asset is proposed to be amended.

(vi) Employment and Investment

1. Incentives to IFSC

- It is proposed that the sunset dates related to IFSC units for exemptions, deductions and relocation in various sections shall be extended to 31st March, 2030.
- It is proposed to exempt the proceeds received on life insurance policy issued by IFSC insurance intermediary office without the condition on maximum premium amount.
- It is proposed to extend the exemption in section 10(4H) to capital gains for non-resident or a unit of IFSC on transfer of equity shares of a ship leasing domestic company.
- It is proposed to extend the exemption in section 10(34B) to dividend paid by a ship leasing company in IFSC to a unit of IFSC engaged in ship leasing.
- It is proposed that any advance or loan between two group entities, where one of the group entities is set up in IFSC for undertaking treasury activities or treasury services, shall be excluded from dividend.
- It is proposed to provide a simplified safe harbor regime for investment funds managed by fund manager based in IFSC. It is further proposed to extend the relaxation of conditions for IFSC units till 31st March, 2030.
- It is proposed to provide exemption to any income accruing or arising to or received by a non-resident as a result of transfer of non-deliverable forward contracts entered into with any Foreign Portfolio Investor, being a unit in an International Financial Services Centre, which fulfills prescribed conditions.
- It is proposed that transfer of a share or unit or interest held by a shareholder in an original fund (being a retail scheme or exchange traded fund regulated under IFSCA Regulations 2022) in consideration for the share or unit or interest in a resultant fund in a relocation, shall not be regarded as transfer for the purpose of calculating capital gains.

2. Extension of date of making investment by Sovereign Wealth Funds, Pension Funds and others:

- It is proposed that in the case of person specified under section 10(23FE) the date of making investment shall be extended from 31st day of March, 2025 to 31st day of March, 2030.
- It is further proposed that in the case of such specified person exemption shall be available to long-term capital gains under said section, even if such capital gains are deemed as short-term capital gains under section 50AA.

3. Scheme of presumptive taxation extended for non-resident providing services for electronics manufacturing facility:

• It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents, engaged in the business of establishing or operating electronics manufacturing facility or a connected facility for manufacturing or production of electronic goods, article or thing in India.

4. Extension of Tonnage Tax Scheme to Inland vessels:

• It is proposed that the benefits of existing tonnage tax scheme to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act, 2021 to promote Inland Water Transportation in the country.

5. Deduction u/s 80CCD for contributions made to the NPS Vatsalya:

• It is proposed to extend the tax benefits available to the National Pension Scheme (NPS) under subsection (1B) of section 80CCD of the Income-tax Act, 1961 to the contributions made to the NPS Vatsalya accounts, as applicable.

(vii) Other miscellaneous amendments

1. Exemption from withdrawals from National Savings Scheme (NSS):

• It is proposed to provide exemption to the withdrawals made from National Savings Scheme (NSS) on or after the 29th day of August, 2024, for any amount deposited under the scheme and the interest accrued thereon in respect of which a deduction has been allowed.

2. Increase in the limits on the income of the employees for the purpose of calculating perquisites:

The provisions of Section 17 are proposed to be amended so that the power to prescribe rules may be
obtained to increase these limits.

3. Extension of exemption to Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)

• It is proposed to extend the exemption of SUUTI created by the Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002, to 31st March, 2027.

4. Non applicability of Section 271AAB of the Act:

• It is proposed that provisions of the aforesaid section shall not be applicable to a case where search has been initiated under section 132 on or after the 1st day of September, 2024.

5. Certain penalties to be imposed by the Assessing Officer:

• It is proposed to amend various sections related to penalty to provide that penalties under these sections shall be levied by the Assessing Officer, subject to the provisions of the Act relating to prior approval of Joint Commissioner of Income-tax.

6. Removing date restrictions on framing the schemes in certain cases:

It is proposed that the end date prescribed for notifying faceless schemes under certain sections may be
omitted so as to provide that Central Government may issue directions beyond the cut-off date of 31st
day of March, 2025.

7. Extending the processing period of Application seeking immunity from penalty and prosecution:

• It is proposed that Assessing Officer shall pass an order accepting or rejecting the application requesting immunity from penalty and prosecution, within a period of three months from the end of the month in which such application is received.

8. Increasing time limit available to pass order under section 115VP:

• It is proposed to amend section 115VP to provide that the order, accepting or rejecting, assessee's option to opt for tonnage tax scheme shall be passed before the expiry of three months from the end of the quarter in which such application was received.

9. Excluding the period such as court stay etc. for calculating time limit to pass an order:

 It is proposed to exclude certain time period such as period of stay on proceedings by any court order, etc. from the time limit to pass an order deeming a person to be an assessee in default with respect of failure to collect TCS.

10. Time limit to impose penalties rationalized:

• It is proposed that any order imposing a penalty shall not be passed after the expiry of six months from the end of the quarter in which the connected proceedings are completed, or the order of appeal is received.

11. Clarification regarding commencement date and the end date of the period stayed by the Court:

• It is proposed to amend the relevant sections of the Act to clarify the commencement date and the end date of the period stayed by an order or injunction of any court.

12. Time limit for retention of seized books of account or other documents rationalized:

It is proposed make amendments to provide that retention of seized books of account or other
documents shall be one month from the end of the quarter in which the assessment or
recomputation order has been made.

13. Rationalisation of provisions related to carry forward of losses in case of amalgamation

It is proposed to amend section 72A and section 72AA of the Act to provide that any loss forming part
of the accumulated loss of the predecessor entity, shall be carried forward for not more than eight
assessment years immediately succeeding the assessment year for which such loss was first computed
for original predecessor entity.

14. Amendments proposed in provisions of Block assessment for search and requisition cases under Chapter XIV-B

• It is proposed to add the term "virtual digital asset" to the said definition of undisclosed income of the block period. The time-limit for completion of block assessment is proposed to be made as twelve months from end of the quarter in which the last of the authorisations for search or requisition has been executed.

ASHISH VACHHANI, Addl. Secy. (Budget)